This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 13 मई, 2026 / 23 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 30 अप्रैल, 2026

संख्याः एल0ई0पी0–ए003 / 12 / 2023–लूज़.––पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता

है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ावा देता है :

हिमाचल प्रदेश सरकार में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) उपबन्ध–क के स्तम्भ संख्या 2 में एतद्द्वारा संलग्न नागरिकोन्मुख सेवाएं प्रशासित कर रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) और स्तम्भ संख्या 3 से संलग्न एतद्द्वारा संलग्न उपाबन्ध के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को स्तम्भ संख्या 4 में विवरण के अनुसार स्तम्भ संख्या 2 में उक्त स्कीम के अन्तर्गत की जा रही है और उनकी पहचान के प्रयोजन के लिए तथा उसकी बाबत जारी अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उनके परिचय पत्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

और उक्त स्कीम के लिए व्यय हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से किया जाता है :

और, उक्त हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड इच्छुक है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, उक्त प्रसुविधा की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में हिताधिकारी की पहचान स्थापित करने में प्रयोजनार्थ, ऐसे हिताधिकारी प्रमाणीकरण या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा रखता है;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन करवाना होगा;

(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा :

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता–पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त बोर्ड हिताधिकारी के नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करने या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण का अद्यतन करेगा :

परंतु ऐसे हिताधिकारी को आधार संख्या समनुदेशित होने तक वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध है, या यदि ऐसी पहचान के लिए उक्त बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया था या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों के डाटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर उक्त प्रसुविधा प्राप्त कर सकता है, अर्थात :—

18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के लिए, जिसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है,—

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी होती है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक यह साबित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थात :—

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र, जैसे कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से लिया गया है;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकपत्र;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,–

(i) यदि वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक हैं, तो ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र;

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(iv) यदि वह ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(ग) माता–पिता या विधिक अभिभावक के साथ अपने संबंध को साबित करने के लिए लाभार्थी की तस्वीर वाला निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :–

(i) राशन कार्ड;

(ii) किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र या निवास प्रमाण–पत्र;

(iii) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यकमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकपत्र;

(vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(i) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(iv) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(viii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए और लागू किये गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज जिसे उक्त बोर्ड निर्दिष्ट करे;

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है,—

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी होती है, तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात :—

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण—पत्र या निवास प्रमाण—पत्र;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान—पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण—पत्र या अंक—पत्र;

(vii) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकारी नियमावली, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान–पत्र;

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,–

(i) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र;

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(iv) यदि वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(xii) ऐसे हिताधिकारी के संबंध में जिनके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए और लागू किये गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(xiii) जैसा कि उक्त बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(4) उक्त बोर्ड द्वारा इस संबंध में पदाभिहित अधिकारी खंड (3) के अधीन दस्तावेजों या उनकी विषय–वस्तु को सिद्ध करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,–

(क) माईआधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें, ताकि यह पुष्टि हो सके कि नामांकन आईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, इस प्रयोजनार्थ वह किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ सांझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. हिताधिकारियों को उक्त प्रसुविधाओं को सुविधाजनक ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा

ताकि हिताधिकारियों को उक्त योजना के अधीन आधार संख्या की अपेक्षाओं के संबंध में हिताधिकारियों को जागरूक किया जा सके।

3. यदि किसी हिताधिकारी के आधार नंबर का अधिप्रमाणन किसी भी बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन विधि (अर्थात चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया गया है और वह किन्हीं कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :

(क) यदि अधिप्रमाणन का कोई विशेष बायोमेट्रिक–आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक–आधारित अधिप्रमाणन या वन टाइम पिन–आधारित अधिप्रमाणन का कोई अन्य तरीका, जैसा भी साध्य और ग्राह्म हो, प्रस्तावित किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां अधिप्रमाणन के बायोमेट्रिक–आधारित या वन टाइम पिन–आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज यथास्थिति पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार संख्या की प्रमाणिकता स्थापित करने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी के आधार पर अधीन प्रसुविधा प्रदान की जा सकती है, अर्थात :–

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई–आधार (अर्थात आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके mAadhaar ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है), आधार क्यूआर स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद;

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके mAadhaar ऐप का उपयोग सुलभ है), की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

4. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के होते हुए भी,–

(क) इस योजना के तहत अधीन ऐसे किसी भी बालक को प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा.–

(i) जो अधिप्रमाणन के दौरान अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल हैं; या

(ii) नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहां उसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है; और

(ख) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा ऐसे बालक को, उसके माता–पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके, उसकी पहचान सत्यापित करके, पैराग्राफ 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति से अधीन प्रसुविधा दी जाएगी; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन प्रसुविधा प्रदान की जाती है, वहां उसके संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी उक्त बोर्ड द्वारा समय–समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक हिताधिकारी उक्त योजना के अधीन मिलने वाली प्रसुविधा से वंचित न रहे, यह उक्त बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय के प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण मिशन के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी–26011 / 04 / 2017–डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट) में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा,
सचिव (श्र0रो0 एवं वि0नि0)।

उपाबन्ध–क

क्रम संख्या	डीबीटी योजना का नाम	लाभ का प्रकार	लाभ का विवरण	लाभार्थी श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 281(1) के अंतर्गत शिक्षा सहायता	व्यस्क
2.	चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 280 के अंतर्गत चिकित्सा सहायता	व्यस्क
3.	मृत्यु हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 278 के अंतर्गत मृत्यु हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
4.	अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 277 के अंतर्गत अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
5.	वृद्धावस्था पैंशन हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 273 के अंतर्गत वृद्धावस्था पैंशन हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
6.	दिव्यांग पैंशन हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 275 के अंतर्गत दिव्यांग पैंशन हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
7.	विधवा पैंशन हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 300 के अंतर्गत विधवा पैंशन हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
8.	छात्रावास सुविधा हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 301 के अंतर्गत छात्रावास सुविधा हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
9.	मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 299 के अंतर्गत मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
10.	कन्या जन्म उपहार हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 298 के अंतर्गत कन्या जन्म उपहार हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
11.	मातृत्व / पितृत्व हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 271 के अंतर्गत मातृत्व / पितृत्व हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
12.	विवाह हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता	नियम 282 के अंतर्गत विवाह हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क

13.	मुख्यमन्त्री आवास योजना	वित्तीय सहायता	नियम 302 के अंतर्गत मुख्यमन्त्री आवास योजना हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क
14.	मुख्यमन्त्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना	वित्तीय सहायता	नियम 303 के अंतर्गत मुख्यमन्त्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना हेतु वित्तीय सहायता	व्यस्क

[Authoritative English text of this Department's Notification No. LEP-A003/12/2023-Loose, dated 30-04-2026 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LABOUR, EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th April, 2026

No. LEP-A003/12/2023-Loose.—Whereas the use of Aadhar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency :

And whereas the **Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board** (hereinafter referred to as Board), in the Government of Himachal Pradesh is administering as various citizen-oriented services as appended herewith in column No. 2 of Annexure-A (hereinafter referred to as schemes).

And whereas **as per the appended annexure herewith** column No. 3 is given to the **registered workers** under the schemes at column No. 2, as per description at column No. 4 and credentials are being used for the purpose of identification and the instructions and guidelines issued in respect thereof :

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of **the State of Himachal Pradesh** :

And whereas the said **Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board** is desirous that the Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of **Himachal Pradesh** hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said **Board** shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself :

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorized by the said **Board** for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely :—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned :

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and

(b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely :—

(i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

(ii) Indian passport;

(iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

(iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(v) In respect of a foreign national,—

(i) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(ii) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(iii) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(iv) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa alongwith foreign passport or a Long Term Visa to India alongwith currently valid or expired foreign passport; or

(c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely :—

(i) Ration card;

(ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;

(iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(iv) Indian passport;

(v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

(vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(vii) In respect of a foreign national,—

(i) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(ii) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(iii) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(iv) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa alongwith foreign passport or a Long Term Visa to India alongwith currently valid or expired foreign passport; or

(viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890,the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(ix) Any other document as the said **Board** may specify.

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned :

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely :—

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;

(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;

(ix) Driving license issued in India:

(x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) In respect of a foreign national,—

(i) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(ii) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(iii) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(iv) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or

competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii)Any other document as the said **Board** may specify ,—

(4) An officer designated by the said **Board** in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on my Aadhar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be given on the basis of any of the following :

(i) An Aadhar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhar number holder on generation of his Aadhar number) or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said schemes shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the said **Board**.

5. In order to ensure that *bonafide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said schemes, the said **Board** shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the (e-gazette), Himachal Pradesh.

By orders,
Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (LE & OP).

Annexure-A

Sl. No.	DBT Scheme Name	Benefit Type	Benefit Description	Benefit Type Adult
1	2	3	4	5
1.	Financial Assistance for Education	Financial Assistance	Education Assistance under Rule, 281(1)	Adult
2.	Financial Assistance for Medical	Financial Assistance	Medical Assistance under Rule, 280	Adult
3.	Financial Assistance for Death	Financial Assistance	Death Assistance under Rule, 278	Adult
4.	Financial Assistance for Funeral	Financial Assistance	Funeral Assistance under Rule, 277	Adult
5.	Financial Assistance for Old Age Pension	Financial Assistance	Old Age Pension Assistance under Rule, 273	Adult
6.	Financial Assistance for Disability Pension	Financial Assistance	Disability Pension Assistance under Rule, 275	Adult
7.	Widow Pension Scheme	Financial Assistance	Widow Pension Assistance under Rule, 300	Adult
8.	Hostel Facility Scheme	Financial Assistance	Hostel Facility Assistance under Rule, 301	Adult
9.	Mentally Retarded Children Benefit Scheme	Financial Assistance	Mentally Retarded Children Assistance under Rule, 299	Adult

10.	Female Birth Gift Scheme	Financial Assistance	Female Birth Gift Assistance Rule, 298	Adult
11.	Financial Assistance for Maternity/ Paternity	Financial Assistance	Maternity/ Paternity Assistance Rule, 271	Adult
12.	Financial Assistance for Marriage	Financial Assistance	Marriage Assistance under Rule, 282	Adult
13.	Mukhyamantri Awas Yojna (HPBOCW WB)	Financial Assistance	Mukhyamantri Awas Yojna Assistance under Rule, 302	Adult
14	Mukhya Mantri Widow/Single/ Destitute/Divyang Mahila Awas Yojna.	Financial Assistance	Mukhya Mantri Widow/Single/ Destitute/Divyang Mahila Awas Yojna under Rule, 303	Adult

---

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171 002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax: 2620152
Email: secysec-hp@nic.in

अधिसूचना

शिमला–2, 12 मई, 2026

संख्याः रा0 नि0 आ0 (एफ)1–43 / 2024–6749.——यतः जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया है कि पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन शीत ऋतु में दिसम्बर व जनवरी माह में करवाए जाते रहे हैं तथा ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के मतदाता अपने निवासों को छोड़ कर निचले क्षेत्र बीड़ नामक स्थान में स्थानांतरित हो जाते थे तथा बीड़ में ही स्थित मतदान केन्द्र में मतदान करते रहे हैं;

यतः और कि इस बार पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन ग्रीष्म ऋतु में मई माह में करवाए जा रहे हैं तथा इस पंचायत के लगभग 102 मतदाता कृषि सम्बधित कार्यों के कारण बड़ा भंगाल में रह रहे हैं। बड़ा भंगाल से बीड़ की दूरी लगभग 72 कि0 मी0 है तथा आने–जाने का एक मात्र साधन दुर्गम पैदल रास्ता है। ऐसी परिस्थिति में यह मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएगे;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उन शक्तियों का प्रयोग करने हुए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 के साथ पठित नियम 32(5) व 50 के अन्तर्गत निहित है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए, ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के लिए मतदान एवं मतगणना हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करता है तथा जिला पंचायत अधिकारी (पं0) कांगड़ा को वह सभी कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता है, जिससे इस दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहें:–

1. ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल में ऊंचाई पर रहने वाले सभी मतदाताओं के लिए बड़ा भंगाल में सभी वार्डों के लिए केवल एक ही अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस पंचायत का मतदान प्रथम चरण अर्थात 26–05–2026 को सम्पन्न किया जाए।

2. अतिरिक्त मतदान केन्द्र में मतदान के लिए चार सदस्य मतदान दल का गठन किया जाएगा जो मतदान दिवस पर सभी पदाधिकारियों का मतदान सुनिश्चित करवाएगा।

3. मतदान दल अपने साथ 3 मतपेटियां एवम् सभी पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु पर्याप्त मतपत्रों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ा भंगाल को ले जाएगें। जिला प्रशासन द्वारा इस विषय में समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी।

4. एक मतपेटी में जिला परिषद् व पंचायत समिति के मतपत्रों को मतदान के उपरान्त डाला जाएगा तथा दूसरी मतपेटी में मतदान के उपरान्त ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के प्रधान, उप–प्रधान व वार्ड सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों को डाला जाएगा। तीसरी मतपेटी को आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पृथक ballot paper account तैयार किया जाएगा।

5. मतदान समाप्त होने के उपरान्त मतदान दल को मतपेटियों तथा अन्य मतदान सामग्री के साथ बड़ा भंगाल से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बीड़ लाया जाएगा। बीड़ एवं बड़ा भंगाल दोनों स्थानों से जिला परिषद् व पंचायत समिति की मतपेटी को जिला परिषद् व पंचायत समिति हेतु चिन्हित सुरक्षित कक्ष (Strong Room) में रखा जाएगा तथा दूसरी मतपेटी को प्रधान, उप–प्रधान व वार्ड सदस्यों हेतु चिन्हित सुरक्षित कक्ष (Strong Room) में रखा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया सम्बन्धित उपमण्डलाधिकरी (ना0) की व्यक्तिगत निगरानी में होगी।

6. जहां तक सम्भव हो ग्राम पंचायत से सम्बन्धित मतपेटियां भी उसी परिसर में सुरक्षित कक्ष (Strong Room) में रखी जाएंगी जंहा पर पंचायत समिति व जिला परिषद की मतपेटियां रखी जानी हैं। परन्तु ग्राम पंचायत से संम्बंधित मतपेटियां अलग कमरे में उसी सुरक्षित कक्ष में रखी जाएंगी।

7. सुरक्षित कक्ष (Strong Room) में उपयुक्त संख्या में सुरक्षा कर्मी की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ।

8. ग्राम पंचायत के लिए मतगणना का दिनांक मतपेटियां बीड़ सुरक्षित कक्ष में पंहुचने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग से घोषित किया जाएगा।

9. प्रधान, उप–प्रधान व वार्ड सदस्यों की मतपेटियों की मतगणना के लिए निर्धारित समय से कम से कम 24 घण्टे पहले सम्बन्धित समस्त अभ्यर्थियों / अभ्यर्थियों के एजेंटों को मतगणना का नोटिस जारी किया जाएगा तथा समस्त अभ्यर्थियों / अभ्यर्थियों के एजेंटों से पावती प्राप्त होने के उपरान्त मतगणना निर्धारित तिथि को समय प्रातः 09 बजे से की जाएगी।

10. मतगणना के समय सर्वप्रथम ग्राम पंचायत बीड़ के पांचों वार्डों से सम्बन्धित मतपेटियां, जिनमें मतदान बीड़ स्थित मतदान केन्द्रों पर किया गया है, खोली जाएंगी जिनमें से मतपत्रों को रंग के आधार पर पृथक किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार ballot paper account से मिलान किया जाएगा।

11. प्रधान, उप–प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतपत्रों को अलग–अलग टोकरियों में रखा जाएगा । प्रधान व उप–प्रधान के मतपत्रों को दो अलग–अलग टोकरियों में रखा जाएगा तथा सभी वार्डों के लिए पृथक–पृथक पांच टोकरियां रखी जाएंगी।

12. तत्पश्चात बड़ा भंगाल से लाई गई मतपेटी को खोला जाएगा तथा सर्वप्रथम इसके सभी मतपत्रो को रंग के आधार पर पृथक किया जाएगा तथा ballot paper account से मिलान किया जाएगा। प्रधान व उप–प्रधान से सम्बन्धित मतपत्रों को बिना खोले प्रधान व उप–प्रधान के लिए रखी गई टोकरियों में मिलाया जाएगा।

13. वार्ड सदस्यों के मतपत्रों को बिना खोले सुभेदक चिन्ह मोहर (Distinguish Mark Seal) के आधार पर सम्बन्धित वार्डों की टोकरियों में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार जब बड़ा भंगाल के सदस्यों से

सम्बन्धित सभी मतपत्र वार्डानुसार पृथक कर लिए जाएं, तत्पश्चात सर्वप्रथम वार्ड नम्बर एक से मतपत्रों की गणना आरम्भ की जाएंगी।

14. यदि वार्ड नम्बर एक निर्वाचन सर्वसम्मति से हो चुका हो तो मतगणना वार्ड नम्बर 2 से आरम्भ की जाएगी। तत्पश्चात उप–प्रधान व प्रधान पदों के मतपत्रों की गणना की जाएगी।

15. मतदान व मतगणना के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 की नियमावली में निर्धारित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
(अनिल कुमार खाची),
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

———————

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 12th May, 2026

No. HPERC/428.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) has framed and notified the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 *vide* notification No. HPERC/428, dated 16th November, 2017 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, on 23rd November, 2017 (hereinafter referred to as “ the RE Tariff Regulations, 2017”);

AND WHEREAS, the Central Electricity Regulatory Commission has notified the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024,published in the Gazette of India (EXTRAORDINARY) on 16th July, 2024 (hereinafter referred to as “ the CERC RE Tariff Regulations, 2024”);

AND WHEREAS, the Commission, find it expedient to add/align some of the provisions of the CERC RE Tariff Regulations, 2024 in its RE Tariff Regulations, 2017. Accordingly, the Commission proposes to make the following Regulations further to amend the RE Tariff Regulations, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 61, sub-section(1) of Section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of Section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to make the following Regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the Draft Amendment Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days

from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with objections or suggestions, if any, received within the stipulated period.

The text of the aforesaid Draft Amendment Regulations is available on the website of the Commission *i.e.* http.// www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171 009 (H.P.).

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Eighth Amendment) Regulations, 2026.

(2) These Regulations shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 2.—In Regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination)

Regulations, 2017, in sub-regulation (1),—

(i) after clause (ba), the following clauses(bb) and (bc) shall be inserted, namely:-

"**(bb)** '**Biomass'**means wastes produced during agricultural and forestry operations (for example, straws and stalks) or produced as a by-product of processing operations of agricultural produce (*e.g.*, husks, shells, de-oiled cakes); wood produced in dedicated energy plantations or recovered from wild bushes or weeds; and the wood waste produced in some industrial operations; including such other wastes as may be recognised by the Central Government, as being part of biomass;

(bc)'Biomass gasification' means the process of incomplete combustion of biomass resulting in the production of combustible gases consisting of a mixture of carbon monoxide (CO), hydrogen (H_2) and traces of methane (CH_4);"; and

(ii) for existing clause (ac), the following clause shall be substituted, namely;—

"**(ac)'Useful Life'** in relation to the project including a dedicated evacuation system shall mean the useful life of the following duration to be reckoned from the date of commercial operation of such project, namely:—

(i)	Wind power project	25 years
(ii)	Biomass power project with Rankine cycle technology	25 years
(iii)	Non-fossil fuel based co-generation project	25 years
(iv)	Small hydro Project	40 years
(v)	Municipal solid waste based power project/Refuse derived fuel based power project	20 years
(vi)	Solar PV power project/ floating solar project/ Solar thermal power project	25 years

(vii)	Biomass gasifier based power project	25 years
(viii)	Biogas based power project	25 years
(ix)	Renewable hybrid energy project	Minimum of the Useful Life of different RE technologies combined for Renewable Hybrid Energy Project for Composite Tariff.
(x)	Renewable energy with storage project	Same as the Useful Life of the project, assuming that there is no storage."

By order of the Commission,
Sd/-
Secretary.

OFFICE OF NAGAR PANCHAYAT SUNNI DISTT. SHIMLA (H.P.)

NOTIFICATION

Dated, the 11th May, 2026

No.NP Sunni/2025-763-766.—In exercise of the powers conferred by section under section 202 read with Section 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the Nagar Panchayat Sunni proposes to make the draft **"The Erection, Exhibition, Affixation of Advertisement and Hoarding Bye-Laws-2025 – Nagar Panchayat Sunni"** and as required under section 202 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Draft Bye-Laws are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Bye-Laws will be taken into consideration, after the expiry of thirty (30) days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections/suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto. The text of the Bye-Laws is available on the Nagar Panchayat's website *i.e.* https://www.npsuni.in.

The objections/suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Nagar Panchayat Sunni, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171 301.

Draft Erection, Exhibition, Affixation of Advertisement and Hoarding Bye Laws-2025 – Nagar Panchayat Sunni

1. Title & Contents.—(i) These Bye-laws may be called the Nagar Panchayat Sunni Outdoor Advertisement Bye-laws 2025.

(ii) These Bye-laws shall come into force with immediate effect within the limits of Nagar Panchayat Sunni after the notification by the Government of Himachal Pradesh in the official gazette.

2. Definitions: In these byelaws unless the context otherwise requires,—

(i) **"Act"** means Himachal Pradesh Municipal Act, 1994

(ii) **"panchayat"** means Nagar Panchayat Sunni (Sunni henceforth)

(iii) **"Advertisement"** shall mean any work, letter, model, sign, device, digital display, electronic display, name boards, direction boards, laser show, kiosk, LED, LCD, Backlit Board, Neon display, or representation supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any Private/ Public/State Govt./Central Govt./ public Sector undertaking/ Govt. Companies/ Govt. Authorities etc., land/Spaces, building or structure which or any part of which shall be visible against the sky from some point in any street/Road includes all and every part of any such post, pole, parapet, standard framework or other support. It shall also include any balloon parachute or other similar employed wholly or in part for the purpose of any advertisement announcement or direction upon or over any land/spaces, building or upon or over any street. However, any display in the form of graffiti and civic messages published by urban local body or any Government authorities (Having no commercial explanation) for the benefit of the citizen shall not be considered as an advertisement.

(iv) **"Advertisement on vehicle (movable)"** means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicle in a manner that advertisement draw visibility while the vehicle is driven on the road. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.

(v) **"Advertisement on vehicle (Parked)"** means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicle in a manner that advertisement draw visibility when vehicle is parked at strategic location. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.

(vi) **"Advertisement Regulation Committee"** means Committee consisting of (a) Secretary Nagar Panchayat Sunni (b) One Municipal councilors nominated by the General House of NP Sunni, (c) Municipal Engineer(AE or JE) Nagar Panchayat Sunni, (d) Sanitary supervisor, Nagar Panchayat Sunni, (e) Assistant Engineer PWD Sunni, (f) Branch in charge Advertisement, Nagar Panchayat Sunni, (g) Representative of concerned Highway Authority.

(vii) **"Advertisement Zoning Plan"** means the numbered plan signed by the Secretary and kept in this office defining the areas of special control and restrictions regarding the advertisement applicable to such areas.

(viii) **"Area of Special control"** means as area so defined in the advertisement zoning plan.

(ix) **"Enclosed Land"** shall mean the land which is wholly or for the most part enclosed within the hedge fence, wall or similar screen or structure and shall not include any railway station together with the yards and for Court thereof, whether enclosed or not, any public park, public garden or other land held for the use or enjoyment of the public.

(x) **"Illuminated advertisement"** shall mean any advertisement with self-luminous by an outside source of light, but not include an illuminated display of goods if such display:—

(a) Is of goods merely bearing labels showing the name of article of its manufacturer or of other; and

(b) Is made by lighting which is not, in the opinion of the Secretary more than which is necessary to make the goods labels visible at night.

(xi) **"Name Plate"** shall mean an advertisement announcing the name of owner and or name of occupier of a building and/or name of a building upon which such advertisement is fixed, exhibited painted, pasted retained or displayed, provided that the size of the letters constituting such advertisement does not exceed 2" in height and the total area does not exceed 4 square feet.

(xii) **"Structure"** shall include a post, pole, tree, bridge, embank and road surface and also a tram car, omnibus and any other vehicle any movable, board used primarily as an advertisement or advertising medium.

(xiii) **"Schedule"** means the schedule indicating the rate/fees for advertisements

3. (A) Regulation and control of advertisement.—No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, boarding, frame, post or structure or place within the City without the written permission of the Secretary granted in accordance with bye-laws made under this Act. Provided that no permission shall be required for any advertisement, which:—

(a) appears in newspapers, relates to public meeting, or to an election to Parliament or Legislative Assembly or the Council or to candidature in respect of such election; or

(b) is exhibited within the window of and building if the advertisement relates to the trade, profession or business carried on in that building; or

(c) relates to the trade profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to any sale entertainment or meeting to be held on or upon or in the same; or

(d) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or the name of the owner or occupier of such land or building; or

(e) relates to any activity of the Government or Union of India or the Municipal Council.

3. (B) Prohibition of Sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notices etc.

(i) Hoardings, advertisement/ banners will not be allowed in the National/ State highway and other scheduled road and footpath as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon'ble Court.

(ii) No Hoarding, advertisements should be put at the place which effects or endangers the growth of flora and fauna.

(iii) No hoarding, advertisement should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be placed on trees.

(iv) No hoarding, advertisement should exceed dimension size of 16 Sq. Meters.

(v) No hoarding, advertisement, banners should be put up in contravention of any law & rules against the guidelines notified by any department.

(vi) No hoarding, advertisement should locate near a water source

(vii) No hoarding, advertisement should be in the form of writing, engraving, nailing and carving on any Natural or in animate object.

(viii) No hoarding, advertisement, banner will be allowed on the roofs of buildings, except with the permission of Secretary NP Sunni.

(ix) Only sign board of premises are allowed up to 3 Sq m. between slab and lintel of the building to the occupier/ owner.

(x) Directional sign to Govt. offices, religious places will be allowed by the Nagar Panchayat, the type, size and location of these shall be also approved by the Nagar Panchayat, The Nagar Panchayat Sunni has to keep in view requisite site clearness, so that there is no traffic hazard due to installation of such board.

(xi) The Nagar Panchayat shall provide notice board for the purpose of sticking, fixing or hanging posters, notice and advertisement, which shall be available for use on an application to be made to the Secretary on payment of fee provided for in these byelaws.

(xii) No hoarding, advertisement should be located/ positioned on a sharp turn, “U” turns and blind turns.

(xiii) The beauty of nature for matters such as hills, rivers, trees and rock should not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisement.

(xiv) No writing/ defacing of retaining walls and parapets could be allowed.

4. Outdoor advertisement and road safety criteria.—

An advertisement device may be considered a traffic hazard:—

(a) If it interferes with road safety or traffic efficiency;

(b) If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g. traffic light, stop or give way sign);

(c) Distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection);

(d) Obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends on the road);

(e) Gives instructions to traffic to "Stop", "halt" or other (e.g. give way or merge);

(f) Imitates a traffic control device;

(g) Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users;

(h) Is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous; and

(i) If situated at locations where the demands on driver’s concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes;

(j) Name of advertisement agencies should be mentioned on every hoarding board.

5. Control of the physical characteristics of advertising devices shall be as follows: —

(a) Advertising shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning lights.

(b) All lighting associated with the Advertising Device shall be directed solely on the Advertising Device and its immediate surroundings.

(c) External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.

(d) Illumination of advertising device is to be concealed or be integral part of it

(e) Upward pointing light of the device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the sign so that glare does not extend beyond the Advertising Device.

(f) The average-maintained luminance shall be reduced to 0.5 candelas or all together shut from 11pm till sunrise by automatic timing devices.

(g) Non-static illuminated Advertising Devices (flashing lights) are not permitted within the boundaries of municipal roads.

(h) Moving, rotating or variable message Advertising Devices are not permitted within the municipal boundaries as these cause a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli.

However, this permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management or for displaying other Council’s information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at- and intended for pedestrians (not motorists) are excluded.

6. Outdoor hoarding and their content criteria:

The Nagar Panchayat authority may take action to modify or remove any Advertising Device that contravenes the following negative advertisements or that otherwise cause a traffic hazard.

List of negative advertisements:—

- Nudity
- Racial advertisements or advertisements propagating caste, community or ethnic differences.
- Advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items
- Advertisements propagating exploitation of women or child
- Advertisement having sexual overtone

- Advertisement depicting cruelty to animals
- Advertisement depicting any nation or institution in poor light
- Advertisement casting aspersion of any brand or person
- Advertisement banned by any law enacted by the Government of India
- Advertisement glorifying violence
- Advertisement that exploits the national emblem or any part of Constitution of India, or the person or personality of a national leader or a state dignitary.
- Destructive devices and explosives depicting items
- Any psychedelic, laser or moving displays
- Advertisement of Weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition etc.).
- Advertisements which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing • Advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
- Advertisement linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act,1954, the Indian Penal Code, 1860; or
- Any other items considered inappropriate by the municipal bodies.

For all categories of devices (except Category of devices which are directed at pedestrians), text elements on an Advertising Device, face should be easily discernible to travelling motorists. This will minimize driver's distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction. The content or graphic layout exhibited on advertising device panel shall avoid hard-to-read and over lay intricate typefaces and have letter styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver. All signs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule letters should not appear to occupy more than 2% of the sign area unless otherwise permitted by the municipal bodies.

7. Prohibited areas and areas of special control and restrictions there-on:

The Secretary may:—

(a) By order prohibit the erection, exhibition, fixation, retention or display of any or any class of advertisements in any street road or public park or park there of or in any place or public resort;

(b) Regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display any advertisements, in any manner in the prohibited areas and areas of special control, in accordance with the regulations indicated in the Advertisement Zoning Plans of the said areas.

***Explanation.*—**The restrictions indicated in the advertisement zoning plans shall be in addition to those mentioned in the other clauses of the bye-laws.

8. Classification of advertisement devices:

The categories of the advertisement devices:—

Category1: Large-format advertisement, mainly fixed on bill boards/ uni-poles and bridge.

Category 2: Advertisement mounted on public amenities, like public toilets, N.P. parking, garbage collection points, Single Poles etc.

Category3: Fleets, fliers and transport related infrastructure

Category4: Advertisement devices for self-advertising in commercial areas

9. Outdoor advertising and structure criteria:

- Advertising Device structures including the foundations, for categories 1 and 2 devices, shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc. and shall comply with relevant Indian structural design standards, codes of practice and Byelaws guidelines. The designs shall be certified by an experienced and practicing structural engineer.

- The supporting structure shall have an on-reflective finish to prevent glare

- The device structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colors that are consistent with, and enhance the surrounding area and will be compliant with the criteria or colors laid out earlier in the Bye-laws.

- Official road furniture such as official signs and delineator guide-posts shall not be used as the supporting structure of an advertising device.

- The name of the Advertising Device license holder should be placed in a conspicuous position on the device.

10. Outdoor advertising devices and electrical connection:

The electrical connections and components in all Advertising Devices shall be in accordance with relevant Indian Standards and designed to ensure there is no safety or traffic risk. No generator running on diesel/petrol/kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any outdoor advertising device.

1. Electricity from renewable energy sources.

To promote conservation of electricity, if the illumination at outdoor advertising devices draws power from alternate renewable resources like solar power, such advertisement devices the license fee/charges will be half of the actual fee.

11. Permissibility of different category of advertising devices:

As per schedule-I

12. Specific conditions:

(a) No advertisement /hoarding should be placed in such a way that obstructs the mountain and valley view of Town. If such case is found, the Secretary can impose a penalty as he deems fit not exceeding a sum of twenty thousand rupees and remove the said advertisement.

(b) All advertisements outside the business area or the building which houses the business can be erected only after permission from the Council.

13. Limitation for Disposal of Applications:

Every application received as per provision of these byelaws shall be acknowledged and the decision on it shall be taken within 30 working days from the date of receipt. If the decision is not taken within the prescribed period, it will be presumed that the required permission is granted subject to payment of due advertisement tax and license fee of the land use charges, wherever applicable and compliance of other clauses of Bye-laws.

14. Procedure to grant permission:

All advertisements, over the size of 120sq. Feet/11square mtr. permitted over the Nagar panchayat land / building shall be through tenders. The tenders can be of single or more hoardings. The tender shall be invited by a committee to be headed by Secretary or by his representative or in the exceptional circumstances by private experts. The committee shall fix the following minimum things before the tender:—

(a) Reserve price

(b) Location of the site/sites

(c) Size of advertisement

(d) Past revenue collection

(e) Number of sites

(f) Period of tender

The advertisement right shall be given for a period of maximum 1 years or as may be decided by the Nagar Panchayat Sunni. It shall be terminable at one month notice without assigning any reason. In the event of default of any terms, the same shall be terminable forthwith without any notice. The tender bid will include the advertisement tax and rent for use of Nagar Panchayat Land/Property. However, payment of service tax or any other State/Central tax will be borne by the individual/Second party.

15. Procedure for obtaining permission-For grant of permission in respect of advertisement of private property:—

The application for permission from the Secretary shall be accompanied with the following documents:—

1. Written no objection certificate from the landowner of the person, legally authorized to accord such NOC.

2. Three copies of plan showing the location, norms and size of the advertisement/hoarding etc. and a copy of the advertisement to be displayed.
3. The design and the structure shall be certified by a experienced and practicing Structural Engineer who shall certify the safety aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant India structural design standards policy and guidelines framed from time to time.
4. NOC will not be issued to those who violate these Bye-laws

16. Fees on Advertisements:

1. The advertisement fee shall be payable in advance annually / quarterly / monthly basis as the case may be fixed by the Municipality from time to time provided that if the rate of fee is chargeable on annually, quarterly or monthly basis, the fractions there of shall be construed accordingly.
2. New Advertisement shall not be exhibited unless the advertisement fee in advance as per the condition of sanction is deposited.
3. Full monthly fee shall be chargeable if the advertisement duration is for more than 10 days. A month for this purpose shall be the calendar month-provided that where advertisement is to be displayed for part of a year and the fees fixed in the schedule are for one year, the fees payable part of the year shall be calculated on quarterly basis.
4. The fees shall be paid by the advertiser to the Nagar Panchayat Sunni before the erection of the advertisement.

1. Calculation of fees

The advertisement fees should be calculated on the basis of the following factors:—

(a) Category of the advertisement

(b) Size of the advertisement

(c) Location of the advertisement

The value of the factors shall be decided by the general house of the Nagar Panchayat Sunni for the first time and future amendments can be done by the Advertisement Regulations committee.

Note.— The Advertisement fees up to the size of 120 Sq. Ft/ 11 Sqm. shall be Rs. 300 per sqm for Six months Only.

17. Functions of the Advertisement Regulation Committee:

I. The advertisement Regulation Committee shall identify the area of special control and prepare advertisement/zoning plans indicating the categories of advertisement devices permissible in different areas of Special Control.

II. In case any practical difficulty arises with respect to implementation of these bye-laws of the zoning plans, the matter shall be referred to advertisement regulation

committee who shall on reference consider and make suitable recommendations to the Secretary for the decision.

18. Penalties:

Whoever contravenes any of these bye-laws shall be punishable with fine of Rupees 500/- for everyday, which may extend up to Ten thousand Rupees, when the contravention is continuing one.

19. Arbitration:

If any dispute regarding advertisement holdings arises between Municipal authorities and any other person concerned with such advertisement holdings, such dispute may be referred by both parties to the SDO(C) Sunni, who shall be sole arbitrator.

20. Jurisdiction:

All disputes shall be subject to the jurisdiction of the Civil Courts at Sunni/Shimla only.

21. Indemnity:

A licensee/sign owner/applicant (licensee) shall be required to indemnify the Municipal Authority for the designated Advertising Device and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Municipal Authority which arise as a result of the installation or existence of an Advertising Device. Such licensee/sign owners/applicant (licensee) shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of device / advertisement and the consequential claim shall be borne by the advertiser who will also indemnify and safeguard the Municipal Authority in respect of any such claim or claims.

22. Removal of Illegal hoardings:

In case any hoardingis found illegal, the Secretary may order its immediate removal subject to giving seven days prior notice. Removal shall be done by the Council, whose cost shall be borne by the defaulter himself. However, in case any holdings pose danger to the safety of general public requirement of serving seven days prior notice shall be dispensed with.

23. Insurance:

The Licensee in case of Category 1 and 2 Advertising Devices shall provide a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to third parties in respect of accidental death or bodily injury to person(s) or damage to property.

The public liability Policy of Insurance shall be for an amount as specified by Municipal Authority for any single event (or such higher amount as may be notified in writing by the Municipal Authority from time to time) and on the terms as specified by the Municipal Authority.

24. Appeals:

(a) Appeal against any decision of the Secretary relating to display of advertisement or any matter related thereto shall lie before, Director Urban Development Department.

(b) Before lodging an appeal, the affected person shall seek a review of the decision

25. If there is any contradiction between these bye-laws and any judgment passed by Hon'ble Apex court or High Court of Himachal Pradesh, then decision of Hon'ble court shall prevail over these bye-laws.

26. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.

Schedule-I Permissibility of different category of advertising devices 9.1 Category 1-Devices

9.1 Category1- Devices		
Sl. No.	**Description of device**	**Status**
	Permitted Subject to General and Specific Permission Criteria.	Not Permitted
1.1	**Billboards/Unipoles/Bipoles**	
I.	Industrial Area	Permitted
II.	Commercial Area	Permitted
III.	Recreation Areas	Permitted
IV.	Crematoriums and Burial grounds	Not Permitted
V.	Transportation areas like bus terminals/truck terminals etc.	Permitted
VI.	Other areas like residential area, Institutional, heritage, monument etc.	Not Permitted
VII.	On rooftops of residences	Not Permitted, except With the permission of Secretary , N.P. Sunni
VIII.	On mobile vans for purposes of advertising	Not Permitted, except With the permission of Secretary , N.P. Sunni
1.2	**Tri vision**	
I.	Bridge Panels	Permitted
1.3	**Building Wrap**	
I.	Commercial Area	Permitted
II.	Recreation Areas	Permitted
III.	Other areas like residential area Institutional, heritage, Monument etc, including mixed land use.	Not Permitted

Sd/-
Secretary
Nagar Panchayat Sunni.

OFFICE OF DISTRICT TOURISM DEVELOPMENT OFFICER KULLU, DISTRICT KULLU, (H.P.)

Cancellation Order of Registration of Tourism Unit

WHEREAS, tourism unit name and style "Hill View Home Stay", at Village Bharthidhar, Post Office Tandi, Tehsil Banjar, District Kullu, H.P. was registered *vide* registration No. 10-24/2025-KLU-TD-8094, dated 15-02-2025 under the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.

WHEREAS, the proprietor of the above said tourism unit *vide* his offline application dated 30-01-2026 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the above Home Stay.

THEREFORE, I, Rohit Sharma, HAS, District Tourism Development Officer, Kullu, District Kullu, H.P, (Prescribed Authority declared *vide* H.P. Government Notification No.:-TSM-A(3)-1/2002, dated 15-01-2003) in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of "Hill View Home Stay", r/o Village Bharthidhar, Post Office Tandi, Tehsil Banjar, District Kullu, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

The Proprietor,
SURENDER KUMAR,
s/o Shri Paras Ram,
Hill View Home Stay,
r/o Village Bharthidhar, P.O. Tandi,
Tehsil Banjar, District Kullu, H.P.

Dated 05-03-2026

Sd/-
(Dr. ROHIT SHARMA), HAS,
District Tourism Development Officer,
Kullu, District Kullu, H.P.

ब अदालत श्री धर्मपाल (हि0प्र0से0), उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री खेम बहादुर पुत्र श्री बहादुर लाल, निवासी नेपाल, हाल निवासी घवाण्डल, डाकघर व तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. नगर परिषद् श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.––प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् श्री नैना देवी जी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री खेम बहादुर ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् श्री नैना देवी जी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् श्री नैना देवी जी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि निम्न प्रकार से है:––

क्र0 सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	हिमांशु	पुत्र	12–08–2011

अतः नगर परिषद् श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 25–05–2026 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके नगर परिषद् श्री नैना देवी जी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 25–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(धर्मपाल) हि0प्र0से0,
उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री धर्मपाल (हि0प्र0से0), उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

रामप्यारी पुत्री श्री लेख राम, निवासी टिक्कर, डाकघर जकातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर।

विषय.––प्रार्थिन का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन रामप्यारी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिन अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि निम्न प्रकार से है:––

क्र0 सं0	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	रामप्यारी	स्वयं	01–03–1965

अतः नगर परिषद् श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 28–05–2026 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(धर्मपाल) हि0प्र0से0,
उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमाः श्री भवनीत शर्मा पुत्र श्री पुरशोतम, निवासी मकान नं0 161, रौडा सैक्टर, वार्ड नं0 2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती निधी पुत्री श्री रोशन लाल ठाकुर, निवासी गांव गलौड, डा0 सिकरोहा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री भवनीत शर्मा पुत्र श्री पुरशोतम, निवासी मकान नं0 161, रौडा सैक्टर, वार्ड नं0 2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती निधी पुत्री श्री रोशन लाल ठाकुर, निवासी गांव गलौड, डा0 सिकरोहा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 27–10–2025 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 27–10–2025 को दर्ज करने बारा यदि कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22–05–2026 या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री भवनीत शर्मा पुत्र श्री पुरशोतम, निवासी मकान नं0 161, रौडा सैक्टर, वार्ड नं0 2, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती निधी पुत्री श्री रोशन लाल ठाकुर, निवासी गांव गलौड, डा0 सिकरोहा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)

Parsino d/o Sh. Bali Ram, r/o Village Buhar, P.O. Paploa, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.) presently wd/o Sh. Amar Singh, r/o V.P.O. Rajpura, Near Bharat Petroleum Corporation Depot, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)-Pin-174 101 . .*Applicants.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Parsino d/o Sh. Bali Ram, r/o Village Buhar, P.O. Paploa, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur (H.P.) presently wd/o Sh. Amar Singh, r/o V.P.O. Rajpura, Near Bharat Petroleum Corporation Depot, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)-Pin-174 101 has preferred an application to the undersigned for the correction of her name and date of birth in her Aadhar Card record. She further submitted that her correct name is Parsino instead of Parsino Devi and her correct date of birth is 19-12-1958 instead of 01-01-1956. In this connection she supported voter card.

Therefore, through this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for correction in name and date of birth as mentoned above may submit his objection in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Issued today on 18th day of April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

———————

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Anil Nughal aged 33 years s/o Sh. Parkash Chand, r/o Village Chountra Pandwin, Post Office Mair, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Priyanka Kumari aged 29 years d/o Sh. Ravinder Kumar, r/o Raili Jajri, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

<u>*Subject*</u>.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Anil Nughal and Smt. Priyanka Kumari have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriages Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the Court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony has been performed on 30-03-2026 at Jaskot Shiv Mandir at Hamirpur, Distt Hamirpur according to hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 20-05-2026. In case no objection is received by 20-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-04-2026.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh**

1. Sh. Herjinder Singh s/o Sh. Mohinder Singh, V.P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) aged 30 years old.

2. Divya d/o Sh. Suresh Pal, Village Karari, P.O. Karari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.), aged 29 years old . . *Applicants*.

Versus

General Public

Sh. Herjinder Singh s/o Sh. Mohinder Singh, V.P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Divya d/o Sh. Suresh Pal, Village Karari, P.O. Karari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws amendment by Act 01,49 of 2001 that they have solemnized their marriage ceremony on dated 21-02-2025 at Village Bhukkar P.O. Bhukkar Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objections regarding this marriage, can file the objections personally or in writing, before this court on or before 15-05-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*S.D.M.,*
Sub-Division Bhoranj, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh**

1. Sh. Rakesh Kumar Bhardwaj s/o Sh. Bidhi Chand, Village Malian, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) aged 60 years old.

2. Manju Bhardwaj d/o Sh. Roshan Lal, ward No. 2, House No. 137 Near Gurukul Mall Gandhi Chowk, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) aged 57 years old . . *Applicants*.

Versus

General Public

Sh. Rakesh Kumar Bhardwaj s/o Sh. Bidhi Chand, Village Malian, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) and Manju Bhardwaj d/o Sh. Roshan Lal, ward No. 2, House No. 137 Near Gurukul Mall Gandhi Chowk, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws amendment by Act 01,49 of 2001 that they have solemnized their marriage ceremony on dated 30-11-1988 at Village Malian, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objections regarding this marriage, can file the objections personally or in writing, before this court on or before 20-05-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-04-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*S.D.M.,*
Sub-Division Bhoranj, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Ankit Banyal s/o Sh. Surjeet Banyal, r/o Village Seokar, P.O. Jaure Amb, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Isha Sharma d/o Sh. Rajni Kumar, r/o Village Laleen, P.O. Changar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

<u>*Subject*</u>. — Notice for Registration of Marriage.

Sh. Ankit Banyal & Ms. Isha Sharma have filed an application under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 23-04-2026.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 23-05-2026. In case no objection is received by 23-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-04-2026.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Som Dutt s/o Sh. Desh Raj, r/o Village & P.O. Barsar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Pramila d/o Sh. Madan Lal, r/o Village Gochar, P.O. Daslehra, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

<u>*Subject*</u>. — Notice for Registration of Marriage.

Sh. Som Dutt & Ms. Pramila have filed an application under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 15-04-2026.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing,

before this court on or before 21-05-2026. In case no objection is received by 21-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-04-2026.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Kailash Kumar s/o Sh. Braham Dass, r/o Village Ghalot, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Neena Devi d/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Ansra, P.O. Kitpal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject. — Notice for Registration of Marriage.

Sh. Kailash Kumar & Ms. Neena Devi have filed an application under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 12-04-2026.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 21-05-2026. In case no objection is received by 21-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-04-2026.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

In the Court of Swati Dogra, HPAS, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sanjeev Kumar s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Mosru Jhiran, P.O. Didwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Komal Rana d/o Sh. Kartar Singh, r/o Village & P.O. Baragoan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

<u>Subject</u>. — Notice of Intended Marriage.

Sh. Sanjeev Kumar & Ms. Komal Rana have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 21-05-2026. In case no objection is received by 21-05-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-04-2026.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806489/2026	नाम दुरुस्ती	04—04—2026	14—05—2026

श्री प्रशोतम चन्द पुत्र श्री किरपा, वासी गांव कसीरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्री प्रशोतम चन्द पुत्र श्री किरपा, वासी गांव कसीरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रशोतम चन्द पुत्र श्री किरपा, वासी गांव कसीरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम मोहाल कसीरी के राजस्व अभिलेख में प्रशोतम दास पुत्र किरपा दर्ज है जबकि उसका सही नाम प्रशोतम चन्द पुत्र किरपा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रशोतम चन्द पुत्र किरपा किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सुचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 14—05—2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के

समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा प्रार्थी का नाम मोहाल कसीरी में दुरुस्त करने के आदेश दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 29—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

—————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
22 / NT/2026	जन्म तिथि पंजीकरण	25—04—2026	14—05—2026

श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, वासी मोहाल चमारकड़, डाकघर ठाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, वासी मोहाल चमारकड़, डाकघर ठाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, वासी मोहाल चमारकड़, डाकघर ठाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 19—03—1977 को ग्राम पंचायत ठाणा धमडियाना में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत ठाणा धमडियाना में दर्ज नहीं हो पाया है लिहाजा इसे ग्राम पंचायत ठाणा धमडियाना में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 14—05—2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 29—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

—————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
23 / NT/2026	जन्म तिथि पंजीकरण	29—04—2026	14—05—2026

श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री जोंडू राम, वासी मोहाल बैरी, डाकघर जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री जोंडू राम, वासी मोहाल बैरी, डाकघर जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती पवना देवी पुत्री श्री जोंडू राम, वासी मोहाल बैरी, डाकघर जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 15–03–1963 को ग्राम पंचायत बैरी में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज नहीं हो पाया है लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 14–05–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 29–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 04 / T/C/2026 तारीख दायरा : 30–03–2026 तारीख पेशी : 16–05–2026

भाग चन्द पुत्र हरी राम, वासी महाल रीडी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल रीडी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख महाल रीडी में राम चन्द दर्ज है जबकि मेरे पहचान पत्र में भाग चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल रीडी में अपने नाम की दुरुस्ती राम चन्द उपनाम भाग चन्द के रूप में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस राजपत्र हि0 प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16–05–2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16—04—2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

—————————

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 03 / 2026 तारीख पेशी : 18—05—2026

श्री अजीत सिंह पुत्र कपूरा राम, वासी गांव टिक्कर, मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

.. वादी।

बनाम

आम जनता गांव टिक्कर मौजा खरयाना, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत डोला खरयाना। .. प्रतिवादी।

विषय.——हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादी श्री अजीत सिंह पुत्र कपूरा राम, वासी गांव टिक्कर, मौजा खरयाना, तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 15—10—1968 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत डोला खरयाना में नहीं करवाया है इसलिए उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत डोला खरयाना को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 18—05—2026 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 20—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

वलदेव सिंह पुत्र श्री सुखिया राम, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वलदेव सिंह पुत्र श्री सुखिया राम, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रीना देवी का जन्म दिनांक 05–06–1982 को गांव व डाकघर पपरोला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म / मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–05–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म / मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर / एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 21–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 708428 / 2026 तारीख मजरूआ : 01–04–2026 तारीख पेशी : 19–05–2026

श्री शेर सिंह पुत्र लक्ष्मण राम, पुत्र हंस उपनाम हंस राज निवासी महाल कनेहड, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री शेर सिंह पुत्र लक्ष्मण राम, पुत्र हंस उपनाम हंस राज निवासी महाल कनेहड मौजा खावा, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 01–04–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम लक्ष्मण राम है, परन्तु प्रार्थी के पिता का का राजस्व अभिलेख महाल कनेहड मौजा खावा में लच्छमण दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नेल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कनेहड में लच्छमण के स्थान पर लक्ष्मण राम, पुत्र हंस उपनाम हंस राज निवासी महाल कनेहड मौजा खावा, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19–05–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 10—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 821851 / 2026 तारीख मजरूआ : 17—04—2026 तारीख पेशी : 19—05—2026

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम, पुत्र चुहडू निवासी गांव व डा0 बलोल, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम, पुत्र चुहडू निवासी गांव व डा0 बलोल, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 17—04—2026 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम महाल बलोल खास में प्रेम सिंह दर्ज है, परन्तु प्रार्थी का नााम उसके पुत्र के आधार कार्ड व व शिक्षा प्रमाण पत्र पर प्रेम चन्द दर्ज हो चुका है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, प्रार्थी के पुत्र का शिक्षा प्रमाण पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बलोल खास में प्रार्थी का नाम प्रेम सिंह के स्थान पर प्रेम सिंह उपनाम प्रेम चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम, पुत्र चुहडू निवासी गांव व डा0 बलोल, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19—05—2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर—हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 17—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 701645 / 2026 नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 22—05—2026

भीम सिंह पुत्र श्री कालू राम, गांव मलेहड, डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.——महाल मलेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में प्रार्थी ने अपने नाम से सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवेन्यू एक्ट 1954 धारा 38 (अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना पत्र।

मुस्त्री मुनादी / इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्राथी भीम सिंह पुत्र श्री कालू राम, गांव मलेहड़, डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर अदालत पेश होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा सही नाम भीम सिंह है परन्तु महाल मलेहड़ के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम भीमसैन गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने नाम की दुरुस्ती का आदेश ग्रामीण राजस्प अधिकारी टम्बर को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस ईश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल मलेहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भीमसैन के बजाये भीमसैन उपनाम भीम सिंह पुत्र कालू राम करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–05–2026 को समय 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जायेगा व उपरोक्त नाम दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित ग्रामीण राजस्व अधिकारी टम्बर को जारी कर दिया जायेगा।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20–03–2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 701697 / 2026 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 26–05–2026

मुनीष सूद पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द, गांव कच्छाल जग्गीयां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.——ईश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुश्तरी मुनादीः–

मुनीष सूद पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द, गांव कच्छाल जग्गीयां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं पेश होकर प्रार्थना पत्र हल्फी बयान पेश किया व आवेदन किया कि मेरी बुआ ललिता

देवी की मृत्यु दिनांक 12—12—1989 को गांव कच्छाल जग्गीयां डाकघर जयसिंहपुर और ग्राम पंचायत जयसिंहपुर तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा में हुई है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घरवालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत जयसिंहपुर के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी बुआ की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए ईश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त ललिता देवी पुत्री स्व० श्री वालक राम गांव कच्छाल जग्गीयां डाकघर जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल की मृत्यु तिथि 12—12—1989 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26—5—2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी को किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जायेगा व उपराक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश संबन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव जयसिंहपुर को जारी कर दिया जायेगा।

ये ईश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23—4—2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 721683 / 2026 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 30—05—2026

अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री मोहिन्द्र सिंह, गांव टण्डर, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

विषय.——ईश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

ईश्तहार मुश्तरी मुनादीः—

अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री मोहिन्द्र सिंह, गांव टण्डर, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री मोहिन्द्र सिंह, गांव टण्डर, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 04—02—1998 को हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र भी सलंग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घरवालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत चम्बी के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत चम्बी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए ईश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की माता श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री मोहिन्द्र सिंह, गांव टण्डर, डाकघर संघोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु

दिनांक 04—02—1998 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30—05—2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी को किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जायेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश संबन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव चम्बी को जारी कर दिया जायेगा।

ये ईश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 09—04—2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 820439/2026 किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण तारीख पेशी : 30—05—2026

1. वीना कुमारी पत्नी स्व0 श्री शक्ति चन्द, गांव कच्छाल जग्गीयां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वर्तमान पत्नी स्व० श्री शक्ति चन्द पुत्र कपूर सिंह, गांव कच्छाल जग्गीयां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया वीना कुमारी पत्नी स्व0 श्री शक्ति चन्द, गांव कच्छाल जग्गीयां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार डोगरा के माध्यम से प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 25—02—1982 को स्वव श्री शक्ति चन्द पुत्र कपूर सिंह, गांव कच्छाल जग्गीयां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई है लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत जयसिंहपुर में दर्ज नहीं करवा सकी थी जिसे प्रार्थिया अब पंजीकृत करवाना चाहती हैं।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया वीना कुमारी पत्नी स्व0 श्री शक्ति चन्द, गांव कच्छाल जग्गीयां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 26—05—2026 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के ग्राम पंचायत सचिव जयसिंहपुर को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 701691 / 2026 नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 28—05—2026

सोम नाथ पुत्र स्व0 श्री लालमन, गांव भगैतर, डाकघर रिट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——महाल भगैतर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में प्रार्थी अपने नाम से सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवेन्यू एक्ट 1954 धारा 38 (अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना पत्र।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सोम नाथ पुत्र स्व0 श्री लालमन, गांव भगैतर, डाकघर रिट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं पेश होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा सही नाम सोम नाथ है परन्तु महाल भगैतर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम रमेश चन्द गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने नाम की दुरुस्ती का आदेश ग्रामीण राजस्व अधिकारी लनोट को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन स्वीकार करते हुए इस ईश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल भगैतर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रमेश चन्द के बजाये रमेश चन्द उपनाम सोम नाथ करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28—05—2026 को समय 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जायेगा व उपरोक्त नाम दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित ग्रामीण राजस्व अधिकारी लनोट को जारी कर दिया जायेगा।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06—04—2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार,
तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

—————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 709682 / 2026 किस्म मुकद्दमा : नाम दरुस्ती तारीख पेशी : 26—05—2026

श्री भगत राम पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी महाल जोंल, डा0 सुदरलाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल जोल मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ईश्तहार मुस्त्री मुनादीः—

श्री भगत राम पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी महाल जोल, डा० सुदरलाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में ध्यान सिंह दर्ज है व उसके पिता का विख्यात व सही नाम भी ध्यान सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सुदरलाहड़ के महाल जोल में उसके पिता का नाम ध्यान चन्द गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल जोल में दुरुस्ती करवा करके ध्यान चन्द के बजाय ध्यान सिंह उपनाम ध्यान चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल जोल में दुरुस्ती करवा करके ध्यान चन्द के बजाय ध्यान सिंह उपनाम ध्यान चन्द दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 26—05—2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 21—04—2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्मा नं0 : 406 / 2026 नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 29—05—2026

श्री नरेंद्र सिंह पुत्र राणु राम, वासी महाल टिप उपरला, मौजा गन्धवाड़ व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) .. प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती भंजना देवी पत्नी रत्न चन्दं व अन्य वासी महाल टिप उपरला, मौजा गन्धवाड़ व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) .. प्रतिवादी।

नोटिस बनाम—श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0। 2. श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी महाल टिप उपरला, डा० सुरानी, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0। .. प्रतिवादीगण।

विषयः— तकसीम हुक्मन 3/P/NT/2022 का ईन्तकाल तस्दीक करने बारे।

ईश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी

श्री नरेंद्र सिंह पुत्र राणु राम, वासी महाल टिप उपरला मौजा गन्धवाड़ व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस अदालत में केस नं० 3/P/NT/2022 नरेंद्र कुमार बनाम भजना देवी व अन्य महाल टिप उपरला मौजा गन्धवाड़ का ईन्तकाल तसदीक हेतु दावा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार–बार इत्तलाह जारी करने व रजिस्टर इत्तलाहनामा पर भी नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है।

अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस ईश्तहार राजपत्र व मुस्तरी मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29–05–2026 को हाजिर अदालत हो कर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

ये ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम   तारीख पेशी : 15–05–2026

श्रीमती सुषमा कुमारी पत्नी सर्वण सिंह, निवासी महाल उमरी, डाकघर कौना, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय—प्रार्थना पत्र दुरस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल उमरी मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ईश्तहार मुस्त्री मुनादीः—

प्रार्थिया श्रीमती सुषमा कुमारी पत्नी सर्वण सिंह, निवासी महाल उमरी, डाकघर कौना, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड में सुषमा कुमारी दर्ज है, व उनका विख्यात सही नाम भी सुषमा कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल उमरी तहसील थुरल में उनका नाम उषा देवी उपनाम सुषमा देवी गलत दर्ज हो गया है अतः प्रार्थिया अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल उमरी, तहसील थुरल में दुरस्ती करवा करके उषा देवी उपनाम सुषमा देवी के बजाय उषा देवी उपनाम सुषमा कुमारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व ईश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल उमरी, तहसील थुरल में उषा देवी उपनाम सुषमा देवी के बजाय उषा देवी उपनाम सुषमा कुमारी दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 15–05–2026 को असालतन या वकालतन

हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व नाम दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 24—04—2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2026 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 04—06—2026

सत्या देवी पत्नी अमी चन्द, निवासी महाल भटटू शमूला, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय—नाम की दुरस्ती करने बारे।

प्रार्थिया सत्या देवी पत्नी अमी चन्द, निवासी महाल भटटू शमूला, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय बयान हलफी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम सत्या देवी विधवा अमी चन्द है, उनके अन्य अभिलेखों में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है जबकि महाल शमूला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम गुडडी देवी विधवा अमी चन्द दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है।

अतः महाल शमूला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरूस्ती करके गुडडी देवी विधवा अमी चन्द के बजाय गुडडी देवी उपनाम सत्या देवी विधवा अमी चन्द करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरूस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04—06—2026 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 115/2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम

खता नं0—113 तारीख पेशी : 28—05—2026

चन्द्र मोहन शर्मा पुत्र जगदीश, पुत्र बामदेव, निवासी गांव खरौठ, डाकघर बल्लाह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . सायल।

बनाम

1. सुरिंदर पुत्र राम प्रशाद, 2. नवीन कुमार पुत्र राम प्रशाद, 3. मोनिका कुमारी पुत्री राम प्रशाद, 4. कुमारी सीमा पुत्री राम प्रशाद, 5. कौशल्या देवी विधवा प्रेम प्रशाद, 6. सुरेश कुमार पुत्र ओम प्रशाद, 7. नरेश कुमार पुत्र ओम प्रशाद, 8. रमेश कुमार पुत्र ओम प्रशाद, 9. शांति देवी पुत्री ओम प्रशाद, 10. सुदेश देवी पुत्री ओम प्रशाद, 11. आशा देवी पुत्री ओम प्रशाद, 12. ललिता शर्मा विधवा रमेश कुमार, 13. नमन शर्मा पुत्री रमेश कुमार, 14. प्रेम लता पत्नी नरेश कुमार, निवासी पधेड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
प्रतिवादीगण।

विषयः— हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं. 113 खतौनी नं0 191,193 खसरा कित्ता 06 रकबा तदादी 00—07—91 हैक्ट0 महाल पधेड़, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 वमुजब जमाबन्दी वर्ष 2019—2020 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किया गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस ईश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुनादी चस्पांगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकदमा की पैरवी हेतु दिनांक 28—05—2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / Misc. /NT / 2026

श्री वलदेव राज पुत्र श्री तरसेम लाल, गांव धमोता, डाकघर उलैहड़ियां, उप—तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषयः— प्रार्थना—पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ईश्तहार

प्रार्थी श्री वलदेव राज पुत्र श्री तरसेम लाल, गांव धमोता, डाकघर उलैहड़ियां, उप—तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे नितिन का जन्म दिनांक 31—03—2005 को गांव धमोता, डाकघर उलैहड़ियां, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका, जिसे वह ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : राकेश कुमार पुत्र चुहडू राम, वासी गांव व डाकघर देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुस्त्री मुनादी) बनाम आम जनता

प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र चुहडू राम, वासी गांव व डाकघर देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 07–03–1979 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Addl. District Registrar of Marriage-cum**-Sub Divisional Magistrate, Karsog, Distt. Mandi (H.P.)**

In the matter of :—

1. Sh. Neeraj Sharma s/o Sh. Netar Prakash, r/o V.P.O. Dharmour, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. aged 38 years.

2. Ms. Sarika Sharma d/o Sh. Prem Sharma, r/o H. No. 63/2, Purani Mandi, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P. aged 41 years . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of Marriage under 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating ther in that they have solemnized their marriage on 06-02-2024 at Kamaksha Mahamaya Temple, Jaidevi, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat, Kheel, Dev. Block Churag, Sub-Tehsil Bagshad, District Mandi, H.P.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order of the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on or before 21st May, 2026 either personally or through their authorized agent pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 22nd day of April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Addl. District Registrar of Marriage-
cum-Sub-Divisional Magistrate, Karsog,
Distt. Mandi (H.P.).

In the Court of Sh. Aditya Guleria, Executive Magistrate, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

In the matter of :

Case No : 35/NT/2026 Date of hearing : 20-05-2026

Smt. Malika Praveen d/o Mohammed Amin, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereasan application u/s 13(3) of the registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Smt. Malika Praveen d/o Mohammed Amin, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 16-04-1975 at Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Births and Deaths, Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Kanaid, and whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 20-05-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection and the matter shall be proceeded further as per law.

Issued under my hand and seal on this day of 27th of April, 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

ब न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 33 / 2026 तारीख मरजुआ : 21 / 04 / 2026 आगामी तारीख : 22—04—2026

श्रीमती हिमा देवी पुत्री श्री मस्त राम हाल पत्नी श्री टेक चन्द, निवासी गांव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थना—पत्र नाम व जन्म तिथि / मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे इश्तहार।

श्रीमती हिमा देवी पुत्री श्री मस्त राम हाल पत्नी श्री टेक चन्द, निवासी गांव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम हिमा देवी व जन्म दिनांक 24—12—1964 है, लेकिन प्रार्थिया का नाम व जन्म पंचायत सेहली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत सेहली में उनका नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश देकर कृतार्थ करें।

प्रार्थना—पत्र में प्रार्थिया का नाम हिमा देवी व जन्म दिनांक 24—12—1964 का पंजीकरण दर्ज करने बारा आम जनता को प्रतिवादी बनाया है, चूंकि आम जनता को समन तामील साधारणतया संभव नहीं है अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेहली में पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22—05—2026 को पूर्वाह्न या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष / एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व यथोचित आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Sh. Aditya Guleria, Executive Magistrate, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

In the matter of :

Case No : 31/NT/2026 Date of hearing : 25-05-2026

Smt. Vasheera d/o Gulam Rasool, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas an application u/s 13(3) of the registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Smt. Vasheera d/o Gulam Rasool, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 06-07-1973 at village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Births and Death, Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Kanaid.

And whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 25-05-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection and the matter shall be proceeded further as per law.

Issued under my hand and seal on this day of 21st of April, 2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख मजरूआ	पेशी दिनांक
06 / 2026	24—04—2026	26—05—2026

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती कुमारी रेनू पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी सर्मौड, डा0 सर्मौड, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्रीमती कुमारी रेनू पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी सर्मौड, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने एक प्रार्थना—पत्र मय Addl- District Registrar Birth & Death Mandi का पत्र ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण—पत्र स्थानीय पंजीयक / नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रार्थिया की जन्म तिथि 15—03—1985 दर्ज है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 15—03—1985 ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में कुमारी रेनू पंचायत में दर्ज कराना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि 15—03—1985 को दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन दिनांक 26—05—2026 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व इस अदालत में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर कुमारी रेनू की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अंकित शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मंजू देवी पुत्री श्रीमती ईन्द्रा देवी, निवासी मुहाल नेरी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 हाल पत्नी श्री नागेन्द्र कुमार पुत्र श्री दिलु राम, निवासी गांव समकल, डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . प्रत्यार्थीगण

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना—पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे।

मंजू देवी पुत्री श्रीमती ईन्द्रा देवी, निवासी मुहाल नेरी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 हाल पत्नी श्री नागेन्द्र कुमार पुत्र श्री दिलु राम, निवासी गांव समकल, डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर आदि दस्तावेजों में लता कुमारी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पलौहटा के मुहाल नेरी में मन्जू देवी दर्ज है। प्रार्थिया उपरोक्त राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल नेरी में अपने नाम की दुरुस्ती करवाकर मन्जू देवी उपनाम लता कुमारी करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक 20–05–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात् किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अंकित शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री शक्ति चन्द पुत्र श्रीमती ईन्द्रा देवी, निवासी मुहाल नेरी,तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे।

श्री शक्ति चन्द पुत्र श्रीमती ईन्द्रा देवी, निवासी मुहाल नेरी,तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्रा, परिवार रजिस्टर आदि दस्तावेजों में ठाकर दास है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पलौहटा के मुहाल नेरी में शक्ति चन्द दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पलौहटा के मुहाल नेरी में शक्ति चन्द उपनाम के स्थान पर शक्ति चन्द ठाकर दास करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक 20–05–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात् किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 34 / 2026 तारीख मरजुआ : 21—04—2026

श्रीमती जमना देवी पुत्री श्री धनी राम हाल पत्नी श्री लाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जमना देवी पुत्री श्री धनी राम हाल पत्नी श्री लाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम जमना देवी व जन्म दिनांक 01—07—1965 दर्ज है लेकिन प्रार्थिया का नाम व जन्म पंचायत सेहली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत सेहली में उसका नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश देकर कृतार्थ करें

प्रार्थना—पत्र में प्रार्थिया का नाम जमना देवी व जन्म दिनांक 01—07—1965 का पंजीकरण दर्ज करने बारा आम जनता को प्रतिवादी बनाया है, चूंकि आम जनता को समन तामील साधारणतः संभव नहीं है अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेहली में पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 22—05—2026 को पुर्वाह्न या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष / एतराज पेश कर सकते हैं। अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व यथोचित आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21—05—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

In the court of Sh. Harsh Amrender Singh, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Rampur, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Vishnu Prasad aged about 27 years s/o Sh. Jeet Bhadur, r/o Village Kumsu, P.O. Nogli, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Smriti Kumri aged about 25 years d/o Sh. Jagdish Kumar, r/o Ward No. 2 R.M. Kumakh, District Salyan, Nepal A/P Village Sagut, P.O. Nishani, Tehsil Nirmand, District Kullu, Himachal Pradesh . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondents.*

An application under section 15 of the special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Sh. Vishnu Prasad aged about 27 years s/o Sh. Jeet Bhadur, r/o Village Kumsu, P.O. Nogli, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh. (Husband) and Smt. Smriti Kumri aged about 25 years d/o Sh. Jagdish Kumar, r/o Ward No. 2 R.M. Kumakh, District Salyan, Nepal A/P Village Sagut, P.O. Nishani, Tehsil Nirmand, District Kullu, Himachal Pradesh. (Wife) alongwith affidavit in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 10-03-2026 at Kumsu, P.O. Nogli, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.

Keeping in view the above, general public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections in this court on or before 18-05-2026, after that no objections shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 25th March, 2026.

Seal.

Sd/-
Additional Distt. Registrar of Marriage-cum-*SDM,*
Rampur, Distt. Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 802319 आफ 2026 तारीख मजरुआ : 03—02—2026

श्री जस राम पुत्र श्री दीप राम, निवासी गांव सलाहट घरगा, डा0 कुज्जी, उप—तहसील नारग, जिला सिरमौर, (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री जस राम पुत्र श्री दीप राम, निवासी गांव सलाहट घरगा, डा0 कुज्जी, उप—तहसील नारग, जिला सिरमौर, (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम जस राम दुरुस्ती करने हेतु आवेदन—पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम जस राम है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सलाहट, उप—तहसील नारग में जसिया दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सलाहट, उप—तहसील नारग, में दुरुस्त करवाकर जसिया के स्थान पर जस राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम जस राम राजस्व अभिलेख मौजा सलाहट में जसिया के स्थान पर जस राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23—05—2026 को प्रातः 10.00 बजें तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।

आज दिनांक 24—04—2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री भूप सिंह, निवासी गांव करड़ बोरली, डा0 चाकली, ग्राम पंचाायत क्यारी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री भूप सिंह, निवासी गांव करड़ बोरली, डा0 चाकली, ग्राम पंचाायत क्यारी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2026-379, दिनांक 16–04–2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर हि0प्र0 प्रति विद्यालय त्याग–पत्र प्रमाण–पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत क्यारी, प्रति परिवार रजिस्ट्रर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 12–08–1966 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि उक्त ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री भूप सिंह एवं श्रीमती ईन्दरा देवी की जन्म तिथि 12–08–1966 ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2026 तारीख मजरुआ : 28–04–2026

श्रीमती सरोज देवी पुत्री तीखुराम, निवासी थनोह, डा0 शाया छबरोंन व ग्राम पंचायत भाणत, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती सरोज देवी पुत्री तीखुराम, निवासी थनोह, डा0 शाया छबरोंन व ग्राम पंचायत भाणत, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9(3) के अंर्तगत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्मतिथि ग्राम पंचायत भाणत में दर्ज करनें हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अविध में जन्म की तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी, आवेदक के अनुसार उसका जन्म दिनांक 15—05—1975 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत भाणत के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सरोज देवी पुत्री तीखुराम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाणत में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत भाणत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29—04—2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2026 तारीख मजरुआ : 28—04—2026

श्री दीपक कुमार पुत्र महेन्दर सिंह, निवासी करगाणू, डा0 करगाणू सनौरा व ग्राम पंचायत करगाणू, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

श्री दीपक कुमार पुत्र महेन्दर सिंह, निवासी करगाणू, डा0 करगाणू सनौरा व ग्राम पंचायत करगाणू, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2003 की धारा 9(3) के अंर्तगत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्मतिथि ग्राम पंचायत करगाणू में दर्ज करनें हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी आवेदक के अनुसार उसका जन्म दिनांक 10—07—1980 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत करगाणू के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दीपक कुमार पुत्र महेन्दर सिंह की जन्म तथि ग्राम पंचायत करगाणू में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनो के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें, उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत करगाणू को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29—04—2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

In the Court of Shri Raman Kumar Sharma, H. P.A.S., Marriage Officer-cum**- Sub-Divisional Magistrate, Kafota, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Robin Kumar s/o Sh. Mam Raj, r/o Village Indoli, P.O. Dugana, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

2. Ravina Chauhan d/o Sh. Inder Singh, r/o Village Neda Fedat, P.O. Dugana, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Robin Kumar and Ravina Chauhan have filed an application on 20-04-2026 along with affidavits in the Court of undersinged under Section 15 of Special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-03-2026 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this Court on or before 25-05-2026. The objection received after 25-05-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-04-2026 under my hand and seal of the Court.

Sd/-

Seal. RAMAN KUMAR SHARMA (HPAS),
Marriage Officer-cum-*Sub Divisional Magistrate,*
Kafota, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Raman Kumar sharma, H. P.A.S., Marriage Officer-cum**- Sub-Divisional Magistrate, Kafota, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Mohan Singh s/o Sh. Jati Ram, r/o Village Barwas, P.O. and Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

2. Vidya Devi d/o Sh. Suppa Ram, r/o Village Kamrau (Munana), P.O. and Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Mohan Singhs and Vidya Devi have filed an application on 23-04-2026 along with affidavits in the Court of undersinged under Section 15 of Special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-07-1983 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this Court on or before 26-05-2026. The objection received after 26-05-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 25-04-2026 under my hand and seal of the Court.

Sd/-

Seal.

RAMAN KUMAR SHARMA (HPAS),
Marriage Officer-cum-*Sub Divisional Magistrate,*
Kafota, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

अश्वनी कुमार

बनाम

सचिन ठाकुर आदि

वादीगण अश्वनी कुमार आदि वासीगण महाल रायेपुर, उप–तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि०प्र०) का तकसीम हुक्मन केस विचाराधीन है। मिसल 75 / NTBP / 2025, खेवट न0 291, जमाबंदी वर्ष 2020–21 महाल रायेपुर, उप–तहसील बीहड़ू कलां जिला ऊना हि०प्र०) जिसमें प्रतिवादीगण 1. सचिन ठाकुर पुत्र रमेश चन्द, 2. कुशविन्दर कुमार पुत्र रमेश चंन्द, 3. भावना देवी पुत्र रमेश चन्द, 4. श्रीमती रेशमी देवी विधवा रमेश चन्द समस्त वासीगण महाल रायेपुर, उप–तहसील बीहड़ू कलां जिला ऊना (हि0प्र0) को साधारण तरीके से समन तामील नहीं हो पा रहे हैं। व प्रतिवादीगण उक्त तकसीम हुक्मन में लगातार गैरहाजिर हैं के सम्बन्ध में देह हजा में मुश्त्री मुनादी बजरिया चौकीदार खाली टीन खड़का कर व सार्वजनिक स्थल पर चस्पांनगी करवाकर सूचित करे।

उपरोक्त प्रतिवादीगण व सर्वसधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस तकसीम हुक्मन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या एतराज हो तो अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 20–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन वा वकालतन पेश होवे । अन्यथा मिसल में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप—तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा—23 भू—राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल हरोली प्रथम व हरोली द्वितीय की जमाबन्दी 2021—2022 में धर्म सिंह पुत्र श्री प्रीतम चन्द के बजाये धर्म चन्द पुत्र श्री प्रीतम चन्द दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार :

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी धर्म चन्द पुत्र श्री प्रीतम चन्द, वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल हरोली प्रथम व हरोली द्वितीय की जमाबन्दी 2021—2022 में धर्म सिंह पुत्र श्री प्रीतम चन्द गलत चल रहा है। जबकि उसका सही नाम धर्म चन्द पुत्र श्री प्रीतम चन्द है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 25—05—2026 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें, हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा / फैसला कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 27—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री शवद अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव भवर्ण उर्फ कंगरूही, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती पूजा देवी पुत्री श्री कमलेश कुमार, निवासी गांव सोहरन, डाकघर, बालू ग़लोआ, तहसील बाबा बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री शवद अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव भवर्ण उर्फ कंगरूही, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पूजा देवी पुत्री श्री कमलेश कुमार, निवासी गांव सोहरन, डाकघर, बालू ग़लोआ, तहसील बाबा बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ दिनांक 27—07—2022 को मुताबिक मुस्लिम रीति—रिवाज के साथ हुई है और तब से वे बतौर पति—पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत लडौली के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 12—05—2026 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, **जिला ऊना (हि0प्र0)**

सर्वजीत पुत्री श्री बसंत राम, वासी गांव ग्राम पंचायत कलोह, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अनुवान मुकद्दमाः—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त अनुवान मुकद्दमा में प्रार्थिया सर्वजीत पुत्री श्री बसंत राम, वासी गांव ग्राम पंचायत कलोह, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म 10—04—1957 को ग्राम पंचायत अम्बोटा, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) में हुआ था। लेकिन अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोटा के रिकार्ड में आज तक दर्ज न करवा सकी है। अतः प्रार्थिया जन्म का पंजीकरण दर्ज करने बारे सचिव ग्राम पंचायत अम्बोटा को आदेश दिये जाये।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थिया सर्वजीत पुत्री श्री बसंत राम के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोटा में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालातन या वकालातन इस अदालत में दिनांक 20—05—2026 को समय 2: 00 बजे दोपहर या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है दिनांक 20—05—2026 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा केस पर नियमानुसार आग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Sanjeev Kumar aged 28 years s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village Talehra, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Jeli Rajbanshi aged 27 years d/o Sh. Hori Rajbanshi, r/o Village Gimti Saraitikor, P.O. Burdwan Rajwari, Tehsil & District Purba Bardhaman (WB). . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sanjeev Kumar s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village Talehra, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Jeli Rajbanshi d/o Sh. Hori Rajbanshi, r/o Village Gimti Saraitikor, P.O. Burdwan Rajwari, Tehsil & District Purba Bardhaman (WB) at present wife of Sh. Sanjeev Kumar s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village Talehra, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-03-2026 at Mata Jamasni Devi Mandir, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-06-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Shubham Kaundal aged 26 years s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village V.P.O. Dhundla, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Shilpa aged 21 years d/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Bhiar, P.O. Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Shubham Kaundal aged 26 years s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village V.P.O. Dhundla, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Shilpa age 21 years d/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Bhiar, P.O. Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) at present wife of Sh. Shubham Kaundal aged 26 years s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village V.P.O. Dhundla, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-02-2026 at Jamasni Devi Mandir, Sarian, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-06-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28th April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Himanshu Chadda aged 30 years s/o Sh. Rajender Kumar Chadda, r/o V.P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Anita Kumari aged 31years d/o Sh. Amar Nath, r/o V.P.O. Pantehra, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.). . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Himanshu Chadda s/o Sh. Rajender Kumar Chadda, r/o V.P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Anita Kumari d/o Sh. Amar Nath, r/o V.P.O. Pantehra, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present wife of Sh. Himanshu Chadda s/o Sh. Rajender Kumar Chadda, r/o V.P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-03-2026 at V.P.O. Chowki

Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-06-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Abhishek Kumar aged 28 years s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Talehra Sanhal, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Anu Bala aged 23 years d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Dolu, Tehsil Bangana, District Una (H.P.). . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Abhishek Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Talehra Sanhal, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Anu Bala d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Dolu, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) at present wife of Sh. Abhishek Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Talehra Sanhal, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. that they have solemnized their marriage on 11-12-2023 at Sheetla Mata Mandir Una, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-05-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16th April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Ajay Kumar aged 37 years s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Badehar Upper, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Anjali aged 22 years d/o Sh. Ramratan, r/o Ganj Sahida, Ujhani Budaun (U.P.).

. . *Applicants.*

Versus

General Public

*Subject.—*Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Badehar Upper, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Anjali d/o Sh. Ramratan, r/o Ganj Sahida, Ujhani Budaun (U.P.) at present wife of Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Badehar Upper, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-05-2025 at Village Badehar Upper, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-05-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 10th April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Vineet Kumar s/o Sh. Balkrishan, r/o Village Kartholi, P.O. Harot, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Ms. Simran d/o Sh. Satnam Singh, r/o Village Rathora Wala Mohalla, Tehsil and District Fazilka, Punjab. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 8(4) of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Vineet Kumar s/o Sh. Balkrishan, r/o Village Kartholi, P.O. Harot, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Ms. Simran d/o Sh. Satnam Singh, r/o Village Rathora Wala Mohalla, Tehsil and District Fazilka, Punjab at present wife of Sh. Vineet Kumar s/o Sh. Balkrishan, r/o Village Kartholi, P.O. Harot, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 8(4) of Himachal Pradesh marriage rules (H.P.) that they have solemnized their marriage on 31-03-2024 according to Hindu Rites and Customs at Village Kartholi, P.O. Harot, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 8(4) of Himachal Pradesh marriage rules (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-05-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 10th April, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Executive Magistrate, Ghanari, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.)

Sh. Rahul Sandal s/o Sh. Arvind Kumar, r/o V.P.O. Dangoh Khas, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.)

Versus

General Public

Sh. Rahul Sandal s/o Sh. Arvind Kumar, r/o V.P.O. Dangoh Khas, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) has preferred an application before under signed correction of Father's Name due to PAN Card mistakenly record as Ajay Kumar in place of Arvind Kumar which is correct.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of spelling mistake of his father mentioned above, if any person have any objection of the above said correction for his father may written objection in the Court, within 30 (Thirty days) from the date of Publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period & application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 8th day of April in the year 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Tehsil Ghanari, District Una,
Himachal Pradesh.

In the Court of Executive Magistrate, Naib-Tehsildar, Ghanari, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.)

Case No:	Date of Institution	Date of Decision:
16/2026	23-03-2026	16-04-2026

Smt. Ram Dei d/o Sh. Babu Ram, r/o V.P.O. Kuthera Rampur, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

Versus

General Public

Smt. Ram Dei d/o Sh. Babu Ram, r/o V.P.O. Kuthera Rampur, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) has preferred an application before under signed correction of Aadhar Card mistakenly record as Shamon Devi in place of Ram Dei which is correct.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of spelling mistake of his father mentioned above, if any person have any objection of the above said correction for his father may written objection in the Court, within 30 (Thirty days) from the date of Publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period & application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 16th day of April in the year 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Tehsil Ghanari, District Una,
Himachal Pradesh.

In the Court of Executive Magistrate, Ghanari, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.)

Sh. Manish Kumar s/o Sh. Yashpal, r/o V.P.O. Bhanjal Upper, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.)

Versus

General Public

Sh. Manish Kumar s/o Sh. Yashpal, r/o V.P.O. Bhanjal Upper, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) has preferred an application for spelling name correction and date of birth of the applicant. The correct name of the applicant is Manish Kumar & his Date of Birth is 20-11-2008 same is also recorded in Matriculation certificate, Birth certificate, Himachali Bonafide etc., but due to mistakenly applicant Aadhar Card spelling name is written as Munish Kumar in place of Manish Kumar. That the applicant name correction and date of birth correction published in the Two news paper in Hindi Version from Dainik Savera on dated 07-04-2026 and English Version from the Times of India on dated 04-04-2026. That the applicant needs of Himachal Pradesh Gazette for the purpose of Aadhar Card name correction & date of birth correction.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection for correction name of applicant and date of birth mentioned above, if any person have any objection of the above said correction for name and date of birth in Aadhar Card, may written objection in the Court, within 30 (Thirty days) from the date of Publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period & application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 8th day of April in the year 2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Ghanari, District Una,
Himachal Pradesh.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 809561 / NTBC / 2026 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 12–06–2026

वाम्बरिया राम

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम वाम्वरिया राम पुत्र श्री जगदीश, वासी महाल कोलका, मौजा टीहरा, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है। जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कोलका, जमाबन्दी वर्ष 2023–2024 के अनुसार वाम्वरिया राम पुत्र श्री जगदीश दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम वाम्वरिया की बजाए वाम्वरिया उपनाम वाम्वरिया राम, वासी महाल कोलका, मौजा थहड़ा, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख कोलका, मौजा थहड़ा, उप–तहसील बीहडू कलां जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति / एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 12–06–2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Mohinder Pal s/o Sh. Madho Ram, r/o Ward No. 5, Village Jagrup Nagar, P.O. Alampur, Tehsil Alampur (ST), Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card, my name and Village name entered as Mahinder Pal and Ward No. 5, Village Dehru is incorrect. That my correct name and address is Mohinder Pal, Ward No. 5, Village Jagrup Nagar, P.O. Alampur, Tehsil Alampur (ST), Distt. Kangra (H.P.). Concerned note.

MOHINDER PAL
s/o Sh. Madho Ram,
r/o Ward No. 5,
Village Jagrup Nagar, P.O. Alampur,
Tehsil Alampur (ST), Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajat Kumar Dogra s/o Ghanshyam Dogra, Rukmani Niwas, Friends Colony Holta, P.O. AUC Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Rajat Kumar to Rajat Kumar Dogra. All concerned please note.

RAJAT KUMAR DOGRA
s/o Ghanshyam Dogra,
Rukmani Niwas, Friends Colony Holta,
P.O. AUC Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rama Devi w/o Roop Singh Gurung, r/o House No. 4, Village Chilghari, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Roma Gurung in my Aadhar Card bearing No. 2804 4268 9229. My correct name is Rama Devi. Both names refer to one and the same person. All concerned may please note.

RAMA DEVI
w/o Roop Singh Gurung,
r/o House No. 4, Village Chilghari,
P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarita Kumari w/o Sh. Karam Singh, r/o Ward No. 5, Sungal (795), Sungal Tea Estate (795), Tehsil Kangra, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Sarita Devi to Sarita Kumari. I shall be known as Sarita Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

SARITA KUMARI
w/o Sh. Karam Singh,
r/o Ward No. 5, Sungal (795), Sungal Tea Estate (795),
Tehsil Kangra, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anita Kumari w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Ward No. 7, House No. 72, Brahampuri Mohalla, Kapoor Road, Sujanpur Tira, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in birth Certificate of my daughter, my name is wrongly entred as Anita. Whereas, my correct name is Anita Kumari. I Shall be known as Anita Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

ANITA KUMARI
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Ward No. 7,
House No. 72, Brahampuri Mohalla,
Kapoor Road, Sujanpur Tira,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ankur Singh s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Meerpur Kotla, Trilokpur, Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby state that my son, earlier recorded as Baby of Meenakshi, is now named as Vansh Rana.

ANKUR SINGH
s/o Sh. Kuldeep Singh,
r/o Meerpur Kotla, Trilokpur,
Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jamna Devi w/o Sh. Purkha Ram, r/o Vill. Chalokhar, P.O. Nareli, Teh. Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 2843 3588 0637, my name is wrongly entered as Jamuna Devi. Whereas, my correct name is Jamna Devi. I shall be known as Jamna Devi for all purposes in future. All concerned please note.

JAMNA DEVI
w/o Sh. Purkha Ram,
r/o Vill. Chalokhar, P.O. Nareli,
Teh. Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Raman Vig aged 44 years s/o Sh. Joginder Pal, H. No. 94, Ward No. 1, Near Laxmi Narayan Temple, Post Office Dhalpur Kullu, Tehsil Kullu, Akhada Bazar, Distt. Kullu (H.P.)-175 101 declare that my name is wrongly mentioned as Ram Pal in Aadhar Card, PAN Card and relevant Documents. Now, I have been changed my name from Ram Pal to Raman Vig. Today onwards consider my name as Raman Vig. Please note that for all purposes.

RAMAN VIG
s/o Sh. Joginder Pal,
H. No. 94, Ward No. 1, Near Laxmi Narayan Temple,
Post Office Dhalpur Kullu, Tehsil Kullu, Akhada Bazar,
Distt. Kullu (H.P.)-175 101.

CHANGE OF NAME

I, Sangita Devi w/o Sh. Ajay Kumar Rana, Vill. Kumharnu, P.O. Lambagaon, Teh. Jaisingpur, Kangra (H.P.) my name spelling is entered in my son named Aditya Rana, his Matriculation Certificate is Sangeeta Devi. But my actual name spelling is Sangita Devi. I am one and same lady. All note it.

SANGITA DEVI
w/o Sh. Ajay Kumar Rana,
Vill. Kumharnu, P.O. Lambagaon,
Teh. Jaisingpur, Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sulochana Kumari d/o Sh. Mangat Ram w/o Babu Ram, V.P.O. and Teh. Shahpur, District Kangra (H.P.) declare that my name has been wrongly entered as Salochna Devi in my Aadhar Card number 7941 1063 1079. My correct name is Sulochana Kumari. All concerned please note it.

SULOCHANA KUMARI
d/o Sh. Mangat Ram
w/o Babu Ram,
V.P.O. and Teh. Shahpur,
District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pankaj s/o Sh. Ramesh Kumar, Village Dakahal, Kuthar (16), P.O. Kuthar, Distt. Shimla Himachal Pradesh-171 226 do hereby declare that I have changed my son's name from Baby of Poonam (old name) to Vihaan Kalta (new name). All may concerned please note.

PANKAJ
s/o Sh. Ramesh Kumar,
Village Dakahal, Kuthar (16), P.O. Kuthar,
Distt. Shimla Himachal Pradesh-171 226.

CHANGE OF NAME

I, Amita Kumari w/o Sh. Karan Singh, r/o Ward No. 5, Tehsil Palampur, Thandol, District Kangra (H.P.) declare that my name has been wrongly mentioned as Amita Mehta. My correct name is Amita Kumari. Both names refer to the same person. Henceforth, I shall be known as Amita Kumari for all purposes.

AMITA KUMARI
w/o Sh. Karan Singh,
r/o Ward No. 5, Tehsil Palampur,
Thandol, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suneel Kumar s/o Sh. Devi Singh, r/o Village Chari, P.O. Shush, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) hereby declare that in the School and birth records of my son Aryan Thakur, my name has been wrongly mentioned as Suneel Thakur and my wife's name as Mukta Thakur. The correct name of the undersigned is Suneel Kumar and my wife's correct name is Mukta Devi. All concerned may please take note.

SUNEEL KUMAR
s/o Sh. Devi Singh,
r/o Village Chari, P.O. Shush,
Tehsil Anni, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Naresh Kumar s/o Sh. Ram Singh, r/o Meerpur Kotla, Trilokpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) hereby state that my son, earlier recorded as Baby Two of Suman Devi, is now named as Gurpreet.

NARESH KUMAR
s/o Sh. Ram Singh,
r/o Meerpur Kotla, Trilokpur,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 मई, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–8/2026–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को दिनांक 11–05–2026 को अनुमोदित कर दिया है। तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 विवेक ज्योति)
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 13.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2026

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 6 का संशोधन।
3. धारा 7 का संशोधन।
4. धारा 8 का संशोधन।
5. धारा 12 का प्रतिस्थापन।

2026 का अधिनियम संख्यांक 13.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2026

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 11 मई, 2026 को यथाअनुमोदित)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 02) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम.——इस विधेयक का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 6 का संशोधन.——शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 में :—

(क) उप—धारा (2) में "एक सौ" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप—धारा (3) में "दो हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 7 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उप—धारा (1) में ''उपायुक्त'' शब्द के स्थान पर ''गृह विभाग में सचिव'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ख) उप—धारा (2) में "एक सौ" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप—धारा (3) में "एक हजार" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 8 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 8 में :—

(क) उप–धारा (3) में, "दो सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (4) में "एक सौ" शब्द के स्थान पर "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

5. **धारा 12 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**12. शास्तियां.**–(1) जो कोई पास के किसी भी निबन्धन और शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसे दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगाः

परन्तु ऐसे प्रत्येक अपराध का वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो सहायक उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो एक हजार रुपये की प्रशमन फीस के साथ स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।

(2) किसी प्रतिबंधित सड़क पर बिना किसी विधिमान्य पास के यान चलाने पर शास्ति पांच हजार रुपये तथा सील्ड सड़क पर दस हजार रुपये होगीः

परन्तु कोई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी जो सहायक उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो विहित शास्ति के पचास प्रतिशत के बराबर शमन शुल्क लेकर स्थल पर ही अपराध का शमन कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) के अध्यधीन रहते हुए जो कोई इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसे तीन हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे पन्द्रह दिन का साधारण कारावास भुगतना होगाः

परन्तु यह कि वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो सहायक उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पन्द्रह सौ रुपये की प्रशमन फीस के साथ अपराध का स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।"।

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT NO. 13 OF 2026.

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT ACT, 2026

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of section 6.
3. Amendment of section 7.
4. Amendment of section 8.
5. Substitution of section 12.

ACT NO. 13 OF 2026

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT ACT, 2026

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 11TH MAY, 2026)

AN

ACT

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2026.

2. Amendment of Section 6.—In section 6 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (2), for the figures "100/-", the figures "500" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), for the figures "2500/-" the figures "15,000" shall be substituted.

3. Amendment of Section 7.—In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "Deputy Commissioner", the words "Secretary in the Home Department" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the figures "100/-", the figures "500" shall be substituted; and

(c) in sub-section (3), for the figures "1000", the figures "5000" shall be substituted.

4. Amendment of Section 8.—In section 8 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), for the figures "200/-", the figures "1000" shall be substituted; and

(b) in sub-section (4), for the figures "100" the figures "500" shall be substituted.

5. Substitution of Section 12.—For section 12 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"12. Penalities.—(1) Whoever contravenes any of the terms and conditions of the pass, shall be punishable with a fine of Rs. 2000 or undergo simple imprisonment of 10 days in default thereof:

Provided that each such offence may be compounded on the spot by a Police Officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector for a compounding fee of Rs. 1000.

(2) The penalty for plying a vehicle without a valid pass shall be Rs. 5000 on a restricted road and Rs. 10,000 on a sealed road :

Provided that a police officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector may compound the offence for a componding fee equal to fifty percent of the prescribed penalty.

(3) Subject to sub-section (1), whoever contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with a fine of Rs. 3000 or undergo simple imprisonment of 15 days, in default thereof:

Provided that a police officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector may compound the offence on the spot for a compounding fee of Rs. 1500.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 मई, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–4/2026–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को दिनांक 12–05–2026 को अनुमोदित कर दिया है। तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा

(डॉ0 विवेक ज्योति),
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) अधिनियम, 2026

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।

2. वृहत नाम का संशोधन।

3. धारा 1 का संशोधन।

4. कतिपय शब्दों का संशोधन।

5. धारा 2 का संशोधन।

6. धारा 3 का प्रतिस्थापन।

7. धारा 4 का संशोधन।

8. धारा 5 का संशोधन।

9. धारा 6 का संशोधन।

10. धारा 7 का प्रतिस्थापन।

11. धारा 8 का संशोधन।

12. धारा 10 का संशोधन।

13. धारा 11 का संशोधन।

14. धारा 13 का संशोधन।

15. धारा 14 का प्रतिस्थापन।

16. धारा 14—क, 14—ख, 14—ग और 14 घ का अन्तःस्थापन।

17. धारा 15 का प्रतिस्थापन।

—————————

2026 का अधिनियम संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) अधिनियम, 2026

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 12 मई, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम.**——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 है।

2. **वृहत नाम का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के वृहत नाम में, "लिफ्ट" शब्द के पश्चात्, ",एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. **धारा 1 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 1 की उप—धारा (1) "लिफ्ट" शब्द के पश्चात्, ",एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. **कतिपय शब्दों का संशोधन.**——मूल अधिनियम में "लिफ्ट" और "मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग" शब्द जहां—जहां आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स'' और "मुख्य निरीक्षक, लिफ्ट" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. **धारा 2 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(कक) "लिफ्ट का सहायक निरीक्षक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, सहायक अभियन्ता (विद्युत) से नीचे की पंक्ति का न हो;

"(कख) "लिफ्ट का मुख्य निरीक्षक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, यथास्थिति, मुख्य अभियन्ता (विद्युत) या अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) के रैंक पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो;''

"(कग) "एस्केलेटर" से ऐसा विद्युत चालित, तिरछा और सत्त सीढ़ी—मार्ग अभिप्रेत है, जिसका उपयोग यात्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए किया जाता है;''; और

(ख) खंड (ढ) के अन्त में विद्यमान चिन्ह ","के स्थान पर चिन्ह";" प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ण) "ट्रेवलेटर" से, पैदल यात्रियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त क्षैतिज गतिशील पथ अभिप्रेत है।"।

6. **धारा 3 का प्रतिस्थापन.**——मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

3. **लिफ्ट का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा.**——(1) किसी स्थान का प्रत्येक स्वामी, जो ऐसे स्थान पर लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर स्थापित करने की वांछा रखता है, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को ₹ 2500/— का रजिस्ट्रीकरण शुल्क संदेय कर अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु यदि लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटस राज्य सरकार का हो तो कोई रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा:——

क. लिफ्ट की स्थापना:

(i) लिफ्ट का प्रकार;

(ii) लिफ्ट की अधिकतम निर्धारित गति;

(iii) निर्माता / डिज़ाइनर द्वारा निर्धारित भार वहन क्षमता;

(iv) लिफ्ट ऑपरेटर के अतिरिक्त अधिकतम यात्रियों की संख्या, जिन्हें लिफ्ट ले जा सकती है;

(v) अधिकतम भार वहन सहित लिफ्ट पिंजर का कुल भार एवं आकार;

(vi) प्रतितोलक का भार;

(vii) आलम्ब केबलों की संख्या, विवरण, भार एवं आकार;

(viii) सबसे निचली मंजिल पर पिंजर की निम्नतम स्थिति से पिट की गहराई; तथा

(ix) ओवरहेड संरचना के निर्माण से संबंधित अन्य विहित विवरण और ब्यौरे जिनमें बीमों का भार एवं आकार सम्मिलित हों।

ख. एस्केलेटर की स्थापनाः

(i) एस्केलेटर का प्रकार;

(ii) एस्केलेटर की परिकल्पित परिचालन गति;

(iii) आनति का कोण;

(iv) जंगलों के मध्य चौड़ाई;

(v) हैंडरेल, स्टेप ट्रेड, लैंडिंग कॉम्ब प्लेट्स, ट्रस अथवा गर्डर तथा स्टेप हील ट्रैक्स का विवरण;

(vi) निर्धारित भार;

(vii) निर्धारित भार पर प्रति घंटा व्यक्तियों की संख्या;

(viii) स्थैतिक भार के आधार पर एस्केलेटर में सुरक्षा गुणांक;

(ix) मीटर में कुल यात्रा / ऊँचाई; और

(x) ऐसे अन्य विवरण, जो विहित किए जाएं।

ग. ट्रेवलेटर की स्थापनाः

विशिष्टियां अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई0एस0ओ0) या यूरोपीय मानकीकरण समिति (सी0ई0एन0) के कोडों के अनुरूप।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने और आवेदक से ऐसी सूचना, जैसी आवश्यक हो, की अपेक्षा करने के पश्चात् आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित मुख्य निरीक्षक लिफ्ट या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तदुपरि वह या तो अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा या अनुज्ञा प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन की गई अनुज्ञा उस तारीख से, जिस को यह प्रदा की गई है, छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी :

परन्तु छह मास की अवधि को कारण सहित आवेदन किए जाने पर, छह मास की और आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) उप–धारा (1) के अधीन या विहित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।"।

7. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उप–धारा (1) में, "सात सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) अनुज्ञप्ति की वैद्यता एक वर्ष की होगी, जिसका नवीकरण ऐसे अभिलेखों के साथ जो विहित किए जाएं, और रु. 5000 / – के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर किया जाएगाः

परन्तु यदि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर राज्य सरकार का हो तो नवीनीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(5) उप–धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी आवश्यक जांच करने के उपरांत अपने अभिमत सहित आवेदन को मुख्य लिफ्ट निरीक्षक को अग्रेषित करेगा और तत्पश्चात् वह नवीकरण प्रदान कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा।

(6) उप–धारा (1) तथा उप–धारा (4) के अधीन विहित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।"।

8. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उप–धारा (1) में, जहां "इस अधिनियम के प्रारम्भ" शब्द आते हैं के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश लिफ्ट, एक्सेलेटर्स और ट्रेवलेटर्स (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (2) में, "सात सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

9. **धारा 6 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) विद्यमान उपबंध, उप–धारा (1) के रूप में, पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और परन्तुक में "अधिनियम के प्रारम्भ" शब्दों के स्थान पर" हिमाचल प्रदेश लिफ्ट, एक्सेलेटर्स और ट्रेवलेटर्स (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ" शब्द और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) जो कोई भी व्यक्ति बिना वैद्य अनुज्ञा के किसी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर (सरकार द्वारा स्थापित एवं संधारित लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर सहित) का संचालन करता है, वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। उक्त दण्ड अधिरोपित करने के लिए लिफ्ट निरीक्षक सक्षम होगा।"।

10. **धारा 7 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"7. लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के निरीक्षण या स्थापना के लिए किसी भवन में प्रवेश का अधिकार,–

(1) लिफ्ट निरीक्षक युक्तियुक्त सूचना देकर, किसी भी समय उस किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है, जिसमें कोई लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर स्थापित है या स्थापित किया जा रहा है, अथवा जिसके संबंध में अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, ताकि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर, उनकी स्थापना अथवा उससे संबंधित स्थल का निरीक्षण किया जा सके।

(2) सहायक लिफ्ट निरीक्षक भी ऐसी लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों का भौतिक निरीक्षण कर सकता है, जिन्हें लिफ्ट निरीक्षक द्वारा उसे संदर्भित किया गया होः

परंतु लिफ्ट निरीक्षक, सहायक लिफ्ट निरीक्षक द्वारा निरीक्षत की गई लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों में से कम से कम दस प्रतिशत का स्वयं निरीक्षण करेगा :

परंतु यह और कि सहायक लिफ्ट निरीक्षक को इस उप–धारा के अंतर्गत उसे संदर्भित की गई लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों के निरीक्षण हेतु उप–धारा (1) के अनुसार किसी भी भवन में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

(3) यदि ऐसे निरीक्षण पर अधिकारी की यह राय हो कि किसी भवन में स्थित कोई लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह भवन के स्वामी को ऐसे आदेश जिन्हें वह आवश्यक समझे जारी कर सकेगा जिनमें ऐसे सुधार अथवा परिवर्तन करने की अपेक्षा है तथा आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दे सकेगा; और आवश्यकता होने पर, ऐसे सुधार अथवा परिवर्तन किए जाने तक या ऐसी असुरक्षित स्थिति हटाए जाने तक, उस लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के उपयोग को स्थगित करने का भी आदेश दे सकेगा।"।

11. **धारा 8 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) में, "धारा 7 की उप–धारा (2)" शब्दों और अंकों के स्थान पर " धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 की उप–धारा (3)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

12. **धारा 10 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (1) में, " और जिला मजिस्ट्रेट को भी" शब्दों के स्थान पर ",जिला मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधीक्षक को भी" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

13. **धारा 11 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1) प्रत्येक लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर का निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।"; और

(ख) उप–धारा (2) में, "धारा 4 की उप–धारा (3), धारा 7 की उप–धारा (2)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 7 की उप–धारा (3)" शब्द और अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. **धारा 13 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 13 में,–

(क) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) "पैंतालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

15. **धारा 14 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.––

"**14. शक्तियों का प्रत्यायोजन.**––राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त समस्त या उनमें से किन्ही शक्तियों को ऐसे अधिकारी को, जिसे वह उचित समझे किन्तु जो लिफ्ट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"।

16. धारा 14–क, 14–ख, 14 ग, 14–घ, का अन्तः स्थापन.——मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी।

"**14–क. समवर्ती दायित्व**–यदि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर में सुरक्षा प्रावधानों की खराबी के कारण कोई दुर्घटना घटित होती है और यह उक्त कंपनी के कारण होना प्रतिपादित होता है तो, यथास्थिति, लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की स्थापना अथवा अनुरक्षण करने वाली कंपनी इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगी।

14–ख. जीवन काल–परिसर में स्थापित किसी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर को उसकी स्थापना की तारीख से बीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्वामी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा स्वामी विद्यमान लाईसेंस समर्पित कर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन करेगा।

14–ग. बीमा– स्वामी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की स्थापना पूर्ण होने के पश्चात् उसे उपयोग करने वाले यात्रियों के जोखिम को आच्छादित करने हेतु आज्ञापक रूप से तृतीय पक्ष बीमा करवाना सुनिश्चित करेगा।

14–घ. व्यवहार संहिता–लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर में प्रयुक्त सामग्री एवं उसके समस्त प्रासंगिक घटक भारतीय मानक ब्यूरो अथवा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होंगे।"।

17. धारा 15 का प्रतिस्थापन.——मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"**15. नियम बनाने की शक्ति.**——(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:——

(क) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के लिए विनिर्देश,

(ख) रीति जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की जाएगी,

(ग) रीति जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर का परीक्षण किया जा सकेगा,

(घ) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के निर्माण के लिए आवेदन या उसके परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप,

(ङ) निबन्धन और शर्तें, जिनके अध्यधीन और प्ररूप जिसमें धारा 6 के अधीन लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के परिचालन के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकेगी,

(च) रीति जिसमें और निबन्धन जिनके अध्यधीन लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर धारा 6 के अधीन परिचालित होगी,

(छ) रीति जिसमें दुर्घटनाओं की सूचना (नोटिस) दी जाएगी और ऐसी सूचना (नोटिस) का प्ररूप,

(ज) धारा 7 के अधीन दी जाने वाली सूचना (नोटिस) का प्ररूप, और

(झ) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के जीवन–काल को विनियमित किए जाने की रीति का विनिश्चय करना; और

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकेगा।"।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT NO. 14 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS (AMENDMENT) ACT, 2026

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of long title.
3. Amendment of section 1.
4. Amendment of certain words.
5. Amendment of section 2.
6. Substitution of section 3.
7. Amendment of section 4.
8. Amendment of section 5.
9. Amendment of section 6.
10. Substitution of section 7.
11. Amendment of section 8.
12. Amendment of section 10.
13. Amendment of section 11.
14. Amendment of section 13.
15. Substitution of section 14.
16. Insertion of sections 14-A, 14-B, 14-C and 14-D.
17. Substitution of section 15.

ACT NO. 14 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS (AMENDMENT) ACT, 2026

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 12TH MAY, 2026)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 (Act No. 22 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lifts (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of long title.— In the long title of the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the word "lifts" the sign and words ",escalators and travelators" shall be inserted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Lifts", the sign and words ", Escalators and Travelators" shall be inserted.

4. Amendment of certain words.—In the principal Act, for the word "Lifts" and for the words and signs "Chief Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department", wherever occurring, the words and sign "lifts, escalators or travelators" and the words " Chief Inspector of Lifts" shall be substituted respectively.

5. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—

(a) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(aa) "Assistant Inspector of Lifts" means an officer not below the rank of Assistant Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the State Government;

"(ab) "Chief Inspector of Lifts" means an officer in the rank of Chief Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department or Superintending Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department, as the case may be, appointed by the State Government;

(ac) "escalator" means a power driven, inclined, continuous stairway used for raising or lowering passengers;"; and

(b) at the end of clause (n), for the sign ".", the sign ";" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(o) "travelator" means a horizontal moving pavement for transporting pedestrians.".

6. Substitution of section 3.— For section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**3. Permission to erect a lift.—**(1) Every owner of a place intending to install a lift, escalator or travelator in such place shall make an application to such officer as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, authorise in this behalf, for permission on payment of a registration fee of Rs. 2500/-:

Provided that no registration fee shall required to be paid when the lift, escalator or travelator belongs to the State Goverment.

(2) The application for registration shall be made in such form as may be prescribed and shall specify:—

A. Lift Installation:

(i) the type of the lift;

(ii) the rated maximum speed of the lift;

(iii) the maker's or designer's rated capacity in weight;

(iv) the maximum number of passengers in addition to the lift operator which the lift can carry;

(v) the total weight of the lift cage carrying the maximum load;

(vi) the weight of the counterweight;

(vii) the number, description, weight and size of the supporting cables;

(viii) the depth of the pit from the lowest part of the cage when at the lowest floor; and

(ix) such other particulars and details of the construction of the overhead arrangement; with the weight and sizes of the beams as may be prescribed.

B. Escalator Installation:

(i) the type of escalator;

(ii) the speed at which the escalator is designed to operate;

(iii) the angle of inclination;

(iv) the width between balustrades;

(v) the details of handrails, step tread, landing comb plates, trusses or girders and step wheel tracks;

(vi) the rated load;

(vii) the number of persons per hour at rated load;

(viii) the factor of safety based on the static loads in the escalator;

(ix) the travel (rise) in metres; and

(x) such other particulars as may be prescribed.

C. Travelator Installation:

The particulers in accordance with codes of International Organisation for Standardisation (ISO) or European Committee for Standardisation (CEN).

(3) On receipt of application under sub-section (1), the officer authorized in this behalf shall, after making such enquiry and requiring the applicant to furnish such information as may be necessary, forward the application with his remarks to the Inspector of Lifts or to the officer authorized by him in this behalf and thereupon he may either grant or refuse the permission.

(4) The permission granted under sub-section (3) shall be valid for a period of six months from the date on which it is granted:

Provided that the period of six months may be extended for a further period of six months upon an application with reasons to extend the same.

(5) The fee as prescribed under sub-section (1) shall be increased by 10% after every three years.”.

7. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the word, figures and signs “Rs. 750/-”, the word, figures and signs “Rs. 5,000/-” shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

“(4) The validity of license shall be one year which shall be renewed upon an application by the owner, duly supported with such documents as may be prescribed, alongwtih a renewal fee of Rs. 5000/- :

Provided that no renewal fee shall required to be paid where the lift, escalator or travelator belongs to State Government.

(5) On receipt of an application under sub-section (1) the officer shall, after making such inquiry as may be necessary forward the application with his remarks to the Chief Inspector of Lifts and thereupon he may either grant or refuse the renewal of license.

(6) The fee as prescribed under sub-section (1) and sub-section (4) shall be increased by 10% after every three years.”.

8. Amendment of section 5.— In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words “commencement of this Act”, wherever occurring, the words, signs and figures “commencement of the Himachal Pradesh Lifts, Escalators and Travelators (Amendment) Act, 2026” shall be inserted; and

(b) in sub-section (2), for the word, figures and signs “Rs. 750/-”, the word, figures and signs “ Rs. 5000/-” shall be substituted.

9. Amendment of section 6.— In section 6 of the principal Act,—

(a) the existing provision shall be numbered as (1) and in the proviso for the words “commencement of this Act”, the words, signs and figures “commencement of the Himachal Pradesh Lifts, Escalators and Travelators (Amendment) Act, 2026” shall be inserted; and

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

“(2) Whosoever operate a lift, escalator or travelator including those installed and maintained by the Government without a valid license shall be liable to pay a penalty of Rs. 50,000/-. The Inspector of Lifts shall be competent to levy such penalty.” .

10. Amendment of section 7.—For section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

> "**7. Right to enter any building for inspection or installation of lift, escalator or travelator.**—(1) The Inspector of Lifts may, at any time after giving reasonable notice to the occupant, enter upon any building in which a lift, escalator or travelator is installed or is being installed or in connection with which an application for a license has been received, for the purpose of inspecting installation of lift, escalator or travelator; or the lift, escalator or travelator installation or the site thereof.

(2) The Assistant Inspector of Lifts may also conduct the physical inspection of such lifts, escalators or travelators, which are referred to him by the Inspector of Lifts:

> Provided that the Inspector of Lifts shall inspect atleast ten percent of the lifts, escalators or travelators which have been inspected by the Assistant Inspector of Lifts:
>
> Provided further that the Assistant Inspector of Lifts shall have right to enter any building as per sub-section (1) to inspect the lifts, escalators or travelators, as referred to him under this sub-section.

(3) If on such inspection the Officer is of the opinion that any lift, escalator or travelator in any building is in an unsafe condition, he may issue an order to the owner of the building requiring such repairs or alterations to be made to such lift, escalator or travelator as he may deem necessary within the time specified therein and may also, if necessary, order the use of such lift, escalator or travelator to be discontinued until such repairs or alterations are made or such unsafe condition is removed.".

11. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, signs and figures " sub-section (2) of section 7", the words, signs and figures "section 3, section 4, section 5, section 6 and sub-section (3) of section 7" shall be substituted.

12. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), for the words " also to the District Magistrate", the signs and words, " to the District Magistrate and also the Superintendent of Police" shall be substituted.

13. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

> "(1) Every lift, escalator or travelator shall be inspected at least once in a year by an officer authorised in this behalf by the State Government."; and

(b) in sub-section (2), for the words, figures and signs " sub-section (3) of section 4, sub-section (2) of section 7", the words, figures and signs "sub-section (3) of section 7" shall be substituted.

14. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act,—

(a) for the words "five thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted;

(b) for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted; and

(c) for the words "forty five thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted.

15. Amendment of section 14.—For section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"14. Delegation of the powers.—The State Government may delegate all or any of the powers conferred on it by this Act to such officer as it may think fit but not below the rank of Inspector of Lifts.".

16. Insertion of sections 14-A, 14-B, 14-C and 14-D.—After section 14 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"14-A. Concurrent liability.—The lift, escalator or travelator erection or maintenance company, as the case may be, shall be liable for a penalty under this Act in case an accident occurs in the lift escalator or travelator due to the malfunctioning of any of the safety provisions of the lift, escalator or travelator, if attributable to such company.

14-B. Life span.—A lift, escalator or travelator installed in the premises shall be replaced by the owner after a period of twenty years of the installation and the owner shall surrender the existing license and apply for a fresh license under section 4 of the Act.

14-C. Insurance.—The owner after the completion of erection of such lift, escalator or travelator, shall ensure third party insurance mandatorily, so as to cover the risk of passengers using such lift, escalator or travelator.

14-D. Code of practice.—The materials and all relevant components of lift, escalator or travelator must comply with the Bureau of Indian Standards or the National Building Code.".

17. Substitution 5 of section 15.—For section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"15. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) specifications for lift, escalator or travelator;

(b) the manner in which erection plans of lift, escalator or travelator shall be submitted;

(c) the manner in which the lift, escalator or travelator may be tested;

(d) the form of application for the erection of a lift, escalator or travelator or a license for working the same;

(e) the terms and conditions subject to which and the form in which the license may be granted for the working of a lift, escalator or travelator under section 6;

(f) the manner in which and the terms subject to which the lift, escalator or travelator shall work under section 6;

(g) the manner in which notice of accidents shall be given and the form of such notice;

(h) the form of notice to be given under section 7;

(i) to decide the manner in which the life span of the lift, escalator or travelator is regulated ; and

(j) any other matter which is required to be or may be prescribed by the State Government.”.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।